संवाद

अंक 2020/1 जनवरी - जून 2020

शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

'शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ'

सूची

निदेशक की कलम से	-	1
ताजा विषय	-	2
साक्षात्कार	-	10
गतिविधियाँ	-	14
लेख	-	19
कहानी संग्रह	-	34
शब्द परिचय	-	35
सेवानिवृत कार्मिक	-	36
कविता संग्रह	-	37
योगदान	-	39

संवाद टीम

कार्यकारी संपादक एवं अनुवादक : पूनम मल्होत्रा
अनुकृति सम्पादक : संगीता विज
अभिन्यासकार : संगीता विज, दीप पाहवा
समाचार प्रलेखनाधिकारी : गुसाईं राम
टंकण : पूनम मल्होत्रा, आरती पठानिया, संगीता विज

गृह पत्रिका समिति
अजय निगम, पूनम मल्होत्रा, संगीता विज, टी. पी. तिवारी

निदेशक महोदय की कलम से

प्रिय साथियों,

वर्तमान में पूरा विश्व कोविड-19 नामक गंभीर वैश्विक महामारी के दौर से गुजर रहा है। संपूर्ण भारत देश लॉकडाउन की स्थिति का सामना भी कर चुका है एवं अनेक राज्यों में कुछ रियायतों के साथ अभी भी लॉकडाउन की स्थिति जारी है। इन समस्त प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान की गृहपत्रिका 'संवाद' का जनवरी-जून 2020 का नवीन अंक आपको समर्पित करते हुए मुझे असीम संतोष की अनुभूति हो रही है।

हम सभी को यह ज्ञात है कि हिंदी भारत की जनभाषा एवं राजभाषा है, अतः हम सभी का यह संवैधानिक कर्तव्य बनता है कि संस्थान सरकारी कामकाज में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करें एवं सभी कार्मिकों को भी हिंदी में कार्य करने के लिए प्रेरित करें। हम अपनी अनुसंधान गतिविधियों के साथ-साथ दैनिक कार्यों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने की दिशा में भी निरंतर प्रयत्नशील है। हम अपने अनुसंधान को जन-सामान्य तक पहुँचाने के लिए राजभाषा हिंदी के अधिकाधिक प्रयोग को प्रोत्साहन दे रहे हैं। संस्थान के कार्मिकों की हिन्दी लेखन प्रतिभा को उजागर करने के लिए एवं उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए 'संवाद' में कविता, कहानी, लेख, रचना के रुप में अपना योगदान देने वाले कार्मिकों को प्रोत्साहन राशि भी देनी आरंभ की है। मुझे आशा है कि संस्थान के कार्मिक 'संवाद' में अपना अधिकाधिक सृजनात्मक योगदान देकर इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगें।

संस्थान द्वारा 'संवाद' के जुलाई-दिसम्बर 2019 के पूर्व अंक के माध्यम से एक नई पहल करते हुए इस पत्रिका को वर्तमान से जोड़ने का सफल प्रयास किया था। इसी प्रयास के क्रम में एक पग आगे बढ़ाते हुए "अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस" के अवसर पर 'संवाद' का यह अंक महिलाओं को समर्पित किया गया है एवं इसका विषय है -

"शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ"

हमने इस अंक के माध्यम से शहरों में महिलाओं की उपलब्धियों, चुनौतियों, समस्याओं एवं समाधानों को प्रस्तुत करने के साथ-साथ महिलाओं के प्रति संस्थान के कार्मिकों के विचार, संवेदनाओं व भावनाओं को भी उजागर किया है। मुझे आशा है कि संस्थान के कार्मिक 'संवाद' के आगामी अंको में भी इसी प्रकार अपना अधिकाधिक सृजनात्मक योगदान देकर इसको सफल बनाने का प्रयास करेंगें।आशा करता हूँ कि यह पत्रिका संस्थान की विभिन्न गतिविधियों एवं राजभाषा हिंदी को आगे बढ़ाने में निरंतर सफलता हासिल कर नया मुकाम स्थापित करेगी तथा इसमे प्रकाशित सामग्री महत्वपूर्ण जानकारी से परिपूर्ण होगी।

आज पूरा विश्व कोविड-19 नामक वैश्विक महामारी से जूझ रहा है और परंतु इस कठिन काल में सीमित संसाधनों के साथ 'संवाद' पत्रिका को प्रकाशित किया जा रहा है इसके लिए समस्त 'संवाद टीम' बधाई की पात्र है। मैं इसके रचनाकारों को अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ।

मैं 'संवाद' पत्रिका के उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ ही ईश्वर से आप सबके स्वस्थ एवं सुरक्षित जीवन की प्रार्थना करता हूँ ।

आपका

हितेश वैद्य

ताजा विषय

समन्वय, संयुक्त (कनवर्जेंस) और सहयोग शहरी नियोजन में नवाचार के अभिन्न अंग हैं: हितेश वैद्य

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा.न.का.सं.) के निदेशक हितेश वैद्य ने इलेस्ट न्यूज़ नेटवर्क (ENN) के सौविक गोस्वामी से बातचीत में कहते हैं कि बुनियादी ढांचा, नियोजन और तैनाती के संबंध में समन्वित, संयुक्त और सहयोगात्मक प्रयासों को विशेष रूप से शहरी पारिस्थितिक तंत्र में दिए गए मल्टी गवर्नेंस इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में किसी भी नवाचार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए।

रा.न.का.सं. शहरी भारत के लिए एकीकृत समाधानों को बढ़ावा देना किस प्रकार सुनिश्चित कर रहा है?

देश के विकास के लिए शहर एक महत्वपूर्ण लीवर के रूप में कार्य करते हैं। प्रत्येक शहर उत्पादकता बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और समग्र बुनियादी ढांचे के निवेश को अनुकूलित करने की दिशा में अपने तरीके से योगदान देता है। रा.न.का.सं. पहले से ही भारत के केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों को एक सक्षम वातावरण के निर्माण में तकनीकी सहायता और क्षमता निर्माण सहयोग प्रदान कर रहा है, जिसमें शहरी विकास के अधिकारियों को शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना, कार्यान्वयन और प्रबंधन करने का अधिकार है। भारत के शहरी एजेंडे पर एक विचारशील नेता के रूप में अपनी अनूठी स्थिति के माध्यम से रा.न.का.सं. नीति और कार्यक्रम के हस्तक्षेप के माध्यम से एकीकृत समाधान का प्रचार- प्रसार कर रहा है। राष्ट्रीय, राज्य और शहर के स्तर पर प्रभावी नीति दिशानिर्देश और रूपरेखा तैयार करने के अलावा, रा.न.का.सं. सरकारों को कार्यान्वयन और रोल-आउट में उनकी क्षमता का विस्तार करने के लिए सहयोग करता है। हाल की प्राथमिकताओं में, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के डिजिटलकरण प्रयासों को संबंधित हितधारकों के साथ जोड़ना एवं क्रमबद्ध करना शामिल है।

हितेश वैद्य, निदेशक (रा.न.क.सं.)

यह बहु-आयामी दृष्टिकोण रा.न.का.सं. को विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने और अनुकरण करने की अनुमति देता है और सकारात्मक परिणामों का प्रदर्शन करने वाले दृष्टिकोण को कार्यान्वित करता है। इसका फोकस अपने केंद्र में एक पारिस्थितिकी तंत्र दृष्टिकोण के साथ एकीकृत समाधानों को बढ़ावा देना है, जो एक साझा लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में योगदान करने के लिए विभिन्न हितधारकों सहित बहु-शासन संरचनाओं की अनुमति देता है।

सरकार का 'स्मार्ट सिटी मिशन', 'स्वच्छ भारत अभियान' भारत के शहरी परिवर्तन में किस प्रकार सहायता करता है?

दोनों अभियान भारत के शहरी विकास के दृष्टिकोण और उत्तरवर्ती परिवर्तन में क्रांतिकारी बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। दोनों अभियान देश के स्वच्छ, संक्रमणरहित, जीवनदायी, आर्थिक रूप से जीवंत और समावेशी शहरों को बनाने के प्रयासों में योगदान दे रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से अपनाए गए कार्यक्रम और रोलआउट दृष्टिकोण शहरी नियोजन, स्वास्थ्य, स्वच्छता और एकीकृत प्रौद्योगिकीय समाधान के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने और परिवर्तनकारी एजेंडा में उन्हें सम्मुख लाने में सहायक रहे हैं। दोनों अभियानों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोणों ने बेहतर प्रदर्शन को आगे बढ़ाने में प्रतिबद्धता दिखाई है और इसलिए, इसे बढ़ाने और मजबूत करने की आवश्यकता है। मिशनों ने विभिन्न हितधारकों के बीच व्यापक बातचीत को प्रोत्साहित किया है जिसने कई प्रमुख चुनौतियों जैसे प्राकृतिक, निर्मित और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के लिए, खुले स्थान की संरचनाओं को बेहतर बनाने और टिकाऊ परिवहन समाधान विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करने, प्रशासन को नागरिकों के अनुकूल और लागत प्रभावी बनाने और शहरों को सुरक्षित व स्वस्थ बनाने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यनीतियों को विकसित करने जैसी प्रमुख चुनौतियों का समाधान स्थानीय, राज्य और केंद्र सरकार, शैक्षणिक संस्थानों, वित्तीय व्यवसायों और गैर सरकारी

संगठनों के माध्यम से करने की अनुमति दी गई। शहरी भारत पर परिवर्तनकारी प्रभाव डालने वाले महत्वपूर्ण पहलू प्रासंगिक हितधारकों को उन मामलों में व्यवहार परिवर्तन की आवश्यकता के बारे में बताएँगे, जो सामाजिक प्रभाव रखते हैं।

शहरी स्पेक्ट्रम के संपूर्ण कायापलट के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार के महत्व पर आपकी क्या राय है?

वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी ने हमारे जीवन और अर्थव्यवस्था को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डेटा के प्रसार और नव प्रौद्योगिकियों के उद्भव के साथ, शहरी विकास के भीतर नवाचार की क्षमता कई गुना है। नवाचार और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लम्बी छलांग ने नागरिकों को बेहतर गुणवत्ता वाली नगरपालिका सेवाएँ प्रदान करने में तेजी से प्रगति करने के लिए एक रोमांचक मंच प्रदान किया है।

बुनियादी ढांचे, नियोजन, विकास और तैनाती के संबंध में समन्वित, संयुक्त और सहयोगात्मक प्रयासों को विशेष रूप से भारत के शहरी पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर संस्थानों की बहुलता को देखते हुए किसी भी नवाचार का एक अभिन्न अंग होना चाहिए। पिछले दशकों के अन्य प्रशासनिक दर्शनों की तुलना में सुशासन को बहुत अधिक सुविधाजनक बनाया जा रहा है। नवप्रवर्तन और प्रौद्योगिकी अपने वास्तविक अर्थों में सुशासन को सक्षम बनाने का परम मंत्र बन गया है। चूँकि शहरी विकास में पारंपरिक दृष्टिकोण से बाधाएँ आती हैं, पूरे शहरी स्पेक्ट्रम में स्तर और स्थिरता को प्राप्त करने के लिए अभिनव दृष्टिकोण विभेदक कारक होगा।

आपके अनुसार भारत में शहरीकरण की क्या चुनौतियाँ हैं और इनसे कैसे निपटा जा सकता है?

अगले 15-20 साल न केवल एक जबरदस्त चुनौती पेश करेंगें अपितु पर्याप्त और किफायती आवास, सार्वजनिक परिवहन, जल आपूर्ति, अपशिष्ट और अपशिष्ट जल उपचार से संबंधित भारत के संघर्ष को संबोधित करने की दिशा में नवाचार और छलांग लगाने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में अपना सही स्थान लेने के लिए कमर कस रहा है और भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया का जीवन की गुणवत्ता, सार्वजनिक स्वास्थ्य, आर्थिक क्षमता और सतत विकास पर काफी प्रभाव पड़ता है।

भारत की शहरी चुनौतियों के समाधान के लिए मात्र एक दृष्टिकोण नहीं हो सकता है। भारत की शहरी चुनौतियों का समाधान करने का एकमात्र तरीका यह सुनिश्चित करना है कि भागीदारी, विकेंद्रीकरण, स्वायत्तता और प्रतिनिधि शहरी स्थानीय सरकारों की जवाबदेही के अंतर्निहित सिद्धांत दृढ़ता से कायम रहें।

भारत में शहरी नियोजन एक प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण है, जिसके फलस्वरुप गंभीर अवरोधों के बीच सीमित नवाचार होता है। जब तक शहरी स्थानों के निर्माण के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं है, भारतीय शहर अपने नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने हेतु संघर्ष करने के लिए बाध्य हैं। आज के कुछ मुद्दों में से एक मुद्दा उत्तम आवास है, जबकि अन्य मुद्दों में शहरी झुग्गियों और बेघरों से निपटना; जलवायु परिवर्तन, आपदा की तैयारी भी हैं।

भारतीय शहरों में शहरीकरण के साथ आने वाली विशिष्ट चुनौतियों का सामना करने की क्षमता वाले कुशल पेशेवरों की कमी है। इसके लिए बेहतर स्थानीय शहरों का निर्माण करने और शहरी भारत के मूल्य-श्रृंखला नेटवर्क की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्थानीय स्तर पर शहरी पेशेवरों का निर्माण करने की भी अत्यधिक आवश्यकता है। शहरीकरण की दौड़ में, हमें जनसंख्या के सभी वर्गों को शामिल करना होगा और शहरों को सुलभ, समावेशी और सुरक्षित बनाना होगा।

रा.न.का.सं. के लिए आपका क्या दृष्टिकोण है?

आज का शहरीकरण नवाचार प्रणालियों की माँग करता है जो एक तेज परिवर्तनकारी प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यह न केवल नीतियों और प्रतिक्रियाओं को अद्यतन करने और उन्नत

करने के लिए कहता है, बल्कि 21 वीं सदी की माँगों को सँभालने के लिए उपयुक्त उपकरणों के साथ आने के लिए शासन संस्थानों की आवश्यकता भी बताता है।

मैं दृढ़ता से अनुभव करता हूँ कि शहरी मामलों पर भारत सरकार के एक थिंक-टैंक, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान को अर्बन नॉलेज के एग्रीगेटर के रूप में उभरना चाहिए और राज्यों और शहरों की सभी शहरी जरूरतों के लिए एक-सूत्रीय पड़ाव बनकर शहरी इको-सिस्टम को पूरा करना चाहिए। शहरी प्रबंधन के लिए विकासशील मानक; साक्ष्य आधारित उपकरणों और दिशानिर्देशों के विकास के माध्यम से ; प्रचार -प्रसार और ज्ञान साझा करने के माध्यम से; राज्य और शहरों को सहयोग उपलब्ध कराते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर भारत की शहरी प्रगति को स्थापित करने और प्राथमिकता व उभरते क्षेत्रों के लिए शहरी भारत में निवेश का मार्गदर्शन के माध्यम से रा.न.का.सं. अपने घटकों (केंद्र, राज्य और शहरों) का समर्थन करेगा।

हमें, राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में शहरी पारिस्थितिकी तंत्र की बदलती जटिलता के अनुकूल होना है और शहरी भारत को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है

स्रोत : https://egov.eletsonline.com
हिंदी अनुवाद-पूनम मल्होत्रा

शहरों के मास्टर प्लान पर भी असर डालेगा कोरोना

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान ने महामारी पर किया अध्ययन, शहरों में संक्रमण के मामले सर्वाधिक

कोरोना महामारी भारत के शहरों के मास्टर प्लान पर भी अपना असर दिखाएगी। आने वाले समय में, शहरों में महामारी को ध्यान में रखकर योजनाएँ बनानी होंगी। कोरोना में सबसे ज्यादा मरीज शहरों से आए हैं। कोरोना के बाद शहरों की योजना पर अध्ययन करते हुए रा.न.का.सं. (राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान) के निदेशक ने योजनाओं में बदलाव की जरुरत बताई है।

रा.न.का.सं. के निदेशक, हितेश वैद्य ने 17 मई तक कोरोना संक्रमण के मामलों को अपने अध्ययन मे शामिल किया है। वैद्य ने कहा है कि भारतीय शहरों में बड़े बदलाव की जरुरत है। रा.न.का.सं. फिलहाल मास्टर प्लान 2041 पर काम कर रहा है। भारत में कोरोना के केस के हिसाब से पता चलता है कि शहरीकरण वाले राज्यों में सबसे ज्यादा केस आए हैं।

45 फीसदी शहरीकरण है महाराष्ट्र में, यहाँ सर्वाधिक मामले सामने आए

20 शहरों में ही है भारत के 74 फीसदी मामले

यहाँ मिले 65% मामले मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, चैन्नई, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, सूरत, हैदराबाद और जोधपुर

यहाँ संक्रमण की रफ्तार धीमी

अध्ययन में पता चला है कि कम शहरीकरण वाले राज्यों में कोरोना की रफ्तार धीमी हुई है। केरला, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना में शुरु में केस आए थे, लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले इन राज्यों में कोरोना की रफ्तार को रोक लिया गय। इसका बड़ा कारण यहाँ अन्य राज्यों की तुलना में शहरीकरण कम होना है।

ये सुझाव दिए....

- शहरों में स्थानीय स्तर पर योजनाएँ बनें (केरल के कसारागुड का उदाहरण, वहाँ सबसे पहले मामला सामने आया था। स्थानीय प्रशासन को ही अपने स्तर पर कदम उठाने को कहा गया था)
- शहरी विकास के एजेंडा में स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया जाए
- शहरों में इंटीग्रेटिड कंट्रोल रुम की स्थापना करना
- जीपीएस और सीसीटीवी से संक्रमण के समय लोगों की निगरानी करना

नेबरहुड प्लानिंग की जरूरत

पहले मास्टर प्लान योजनाओं में नेबरहुड प्लानिंग को शामिल करते थे। धीरे-धीरे यह योजना से बाहर चली गई। इसका मतलब था कि जरुरत का सभी सामान आस-पास मिल जाए। कोविड के समय हॉट स्पॉट में नेबरहुड योजनाएँ नहीं मिलने से दिक्कतें आई।

स्थानीय दैनिक समाचार पत्र, दिनांक 24-05-2020

इन्फ्रा सेक्टर को 102 लाख करोड़ का तोहफा

नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन का ढांचा तैयार, वित्त मंत्री सीतारमण ने जारी की रिपोर्ट

वर्ष 2024-25 तक देश की अर्थव्यवस्था को पाँच लाख करोड़ डॉलर का आकार देने की दिशा में सरकार ने मंगलवार को एक बड़ी घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले पांच वर्षों के भीतर देश में 102 लाख करोड़ रूपये की परियोजना को लागू करने का खाका पेश किया है। इसमें 24 फीसद हिस्सेदारी अकेले बिजली क्षेत्र की परियोजनाओं की होगी।

यह खाका नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइल (एनआइपी) के तहत पेश किया गया है, जिसे पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से गठित टास्क फोर्स ने तैयार किया है। उद्योग जगत ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। टास्क फोर्स के सुझाव के मुताबिक 18 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में

नई दिल्ली में परियोजना का खाका पेश करती केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण

दर्जनों ढांचागत परियोजनाओं को तेज किया जाएगा। अगले पांच वर्षों के दौरान आम बजट से ढांचागत परियोजनाओं के लिए आबंटन में वृद्धि की जाएगी।

प्रधानमंत्री ने पिछले वर्ष 15 अगस्त को अपने भाषण में 100 लाख करोड़ की ढांचागत परियोजनाएँ शुरू करने की बात कही थी। इसके बाद गठित टास्क फोर्स ने यह रिपोर्ट तैयार की है। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा चलाई जाने वाली 39-39 फीसद परियोजनाओं से शेष 22 फीसद परियोजनाओं का हिस्सा बढ़ाकर 30 फीसद करने की बात कही गई है। वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती ने बताया कि पिछले छह वर्षों में ढांचागत क्षेत्र पर सरकार की तरफ से 51 लाख करोड़ खर्च किए गए हैं, जबकि अगले पाँच वर्षों में कम से कम 102 लाख करोड़ खर्च करने होंगे। इस राशि की व्यवस्था के लिए आम बजट में ढांचागत क्षेत्र की मौजूदा हिस्सेदारी 0.83 फीसद से बढ़ाकर 1.3 फीसद करनी होगी। इससे बिजली, रेलवे, रिन्यूअल, शहरी विकास, सिंचाई, स्वास्थ्य, जल क्षेत्र की परियोजनाओं को शामिल किया गया है। यह लोगो के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के साथ ही रोजगार के अवसरों में भारी वृद्धि करेगा।

इस क्षेत्रों को इतना मिलेगा: जिन परियोजनाओं को राशि मिलेगी, उनमें सबसे ज्यादा 24 फीसद परियोजनाएँ एनर्जी सेक्टर की है! 19 फीसद सड़क व 16 फीसद शहरी विकास से जुड़ी हुई हैं, जबकि रेलवे से जुड़ी 13 फीसद परियोजनाएँ है।

42 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस पर काम जारी
32 लाख करोड़ के प्रोजेक्टस का खाका तैयार
20 लाख करोड़ के प्रोजेक्टस की रिपोर्ट बन चुकी
19 फीसद सड़क, 16 फीसद शहरी विकास से जुड़ी
24 फीसद परियोजनाएँ अकेले ऊर्जा क्षेत्र से

दैनिक जागरण, नई दिल्ली, बुधवार 1 जनवरी, 2020

इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पर खर्च होंगे रूपये 102 लाख करोड़

5 वर्षों में पूरे किए जाएँगे प्रोजक्ट, इस पाइपलाइन में रूपये 3 लाख करोड़ की अन्य परियोजनाएँ जल्द शामिल की जाएँगी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को 102 लाख करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस की घोषणा की जिन्हें अगले पाँच वर्षों में पूरा किया जाएगा। उन्होंने कॉरपोरेट

बॉन्ड मार्केट और कॉन्ट्रैक्टस को लागू कराने जैसे क्षेत्रों में और कदम उठाने का वादा भी किया।

सीतारमण ने कहा, 'हम अगले पाँच साल में 102 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस पूरे करेंगे।' उन्होंने कहा कि इसके अलावा तीन लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस की योजना जल्द पेश की जाएगी।

पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर भाषण में कहा था कि इंफास्ट्रक्चर में 100 लाख करोड़ रूपये निवेश किए जाएँगे। उसके बाद से सीतारमण ने इकनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी अतनु चक्रवर्ती की अगुवाई में एक टास्क फोर्स बनाई थी जिसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टस के लिए रोडमैप बनाने का जिम्मा दिया गया था। यह कदम भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की इकनॉमी बनाने के इरादे से उठाया गया। मंत्री ने बताया कि कुल करीब 102 लाख करोड़ रूपये के अनुमानित कैपिटल एक्सपेंडिचर में से 42.7 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस (42 प्रतिशत) शुरू किए जाने की प्रकिया में है, वहीं 32.7 लाख करोड़ रूपये (32 प्रतिशत) के प्रोजेक्टस कॉन्सेपट के स्टेज में हैं। सीतारमण ने कहा कि एक ऑनलाइन डैशबोर्ड और डेटा रूप बनाया जाएगा ताकि प्रगति पर नजर रखी जा सके। उन्होंने कहा कि एक एनुअल ग्लोबल इनवेस्टर मिटिंग का आयोजन किया जाएगा ताकि

सभी संबंधित पक्षों को एकसाथ जुटाकर चर्चा की जा सके। इस तरह की पहली मीटिंग 2020 की दूसरी छमाही में हो सकती है। उन्होंने कहा, 'समय पर प्रोजेक्टस पूरे करने के लिए निगरानी का एक फ्रेमवर्क बनाया जा रहा है। काम की स्पीड को देखते हुए प्रोजेक्टस को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स ने 102 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस की पहचान की थी। उन्होंने बताया कि टास्क फोर्स ने इससे पहले संबंधित पक्षों से चार महीनों तक चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में और प्रोजेक्टस की इस पाइपलाइन में जोड़ने पर ये 105 लाख करोड़ रूपये के हो जाएँगे। टास्क फोर्स ने सेक्टर से जुड़ी कई नीतियों में बदलाव की सिफारिश की है। साथ ही, उसने केंद्र और राज्यों के स्तर पर दूसरे रिफॉर्म्स का सुझाव दिया है। इनमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के नियमों को और नरम करने, कॉन्ट्रैक्टस लागू करने के लिए, बेहतर फ्रेमवर्क बनाने, विवादों के जल्द निपटारे की व्यवस्था बनाने के सुझाव दिए गए है। मंत्री ने कहा कि वर्किंग ग्रुप्स ने जो सुझाव दिया है, उनके आधार पर और रिफार्म किए जाएँगे ताकि 'लोगों का जीवन बेहतर हो सके और इंडस्ट्री के लिए कारोबारी सहूलियत बढ़ सके। 'उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्टस पावर, रेलवे, अर्बन इरिगेशन, मोबिलिटी, एजुकेशन और हेल्थ जैसे सेक्टरों के है। उन्होंने कहा कि 25 लाख करोड़ रूपये के एनर्जी प्रोजेक्टस की तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा 20 लाख करोड़ रूपये के प्रोजेक्टस रोड्स सेक्टर में और 14 लाख करोड़ के रेलवे प्रोजेक्टस की तैयारी है। इंडस्ट्री ने इसका स्वागत किया। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के डायरेक्टर जनरल चंद्रजीत बनर्जी ने कहा, '102 लाख करोड़ के इंवेस्टमेंट प्लान से निश्चित तौर पर इक्नॉमी बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी'।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, बुधवार 1, जनवरी 2020

स्वच्छता रैंकिंग में पहले स्थान पर आया पूर्वी निगम

देश के सभी शहरों की सालाना स्वच्छता रैंकिंग जारी करता है केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय

स्वच्छता रैंकिंग में पूर्वी दिल्ली नगर निगम ने बेहतर प्रदर्शन किया है। पहले व दूसरे पखवारे की रैंकिंग में दिल्ली के तीनों निगमों में पूर्वी निगम पहले स्थान पर आया है। इसके पहले गत वर्ष पूर्वी निगम दूसरे और उससे पहले के वर्ष में तीसरे स्थान पर था।

यहाँ यह ज्ञात हो कि केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय द्वारा देशा के सभी शहरों की सालाना स्वच्छता रैंकिंग जारी की जाती थी। लेकिन इस वर्ष से हर पखवारे आकलन शुरू हो गया है। अभी साल के पहले पखवारे और दूसरे पखवारे की रैंक एक साथ निकाली गई है। यह अक्टूबर तक की रैंकिंग है। तीसरे पखवारे का भी सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन इसकी रैंकिंग चौथे व अंतिम पखवारे के साथ ही जारी की जाएगी। चौथे पखवारे के सर्वेक्षण का कार्य जनवरी से शुरू होगा। स्वच्छता रैंकिंग के तहत सफाई व्यवस्था की स्थिति तो देखी ही जाती है। इसके साथ ही यह भी देखा जाता है कि लोगों की शिकायत को किस तरह से कितने त्वरित तरीके से दूर किया गया। लोगों के बीच स्वच्छता

को बढ़ावा देने के लिए किस तरह जागरुकता अभियान चलाया गया। अधिकारियों और कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर किस तरह की सजगता रही। इस तरह के कई मानक हैं जिनके आधार पर रैंकिंग तय की जाती है। यहाँ यह गौरतलब है कि पिछली साल भी पूर्वी दिल्ली की रैंकिंग में जबरदस्त सुधार हुआ था। पूर्वी निगम देश भर के शहरों में 240 वें स्थान पर आया था।

अधिकारी और उत्साह से काम करें: अंजू कमलकांत

अंजू कमलकांत,
महापौर पूर्वी दिल्ली

महापौर अंजू कमलकांत ने पूर्वी निगम की इस उपलब्धि के लिए अधिकारियों और लोगों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह सबकी मेहनत का परिणाम है। इस जज्बे को बनाए रखने की जरूरत है जिससे कि अब अंतिम पखवारे की रैंकिंग भी बेहतर तरीके से हो सके। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि वह भी पूर्वी निगम को स्वच्छ रखने में सहयोग दें। महापौर ने कहा कि पूर्वी निगम के बेड़े में केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के फंड से 70 करोड़ रुपये मिले थे, जिससे उपकरणों की खरीद हुई थी। प्रदूषण दूर करने के लिए 40 अत्याधुनिक वाटर स्प्रिंकलर खरीदे गए। जिससे प्रदूषण दूर करने में मदद मिली। इन उपकरणों की मदद से सफाई व्यवस्था भी पहले से दुरुस्त हुई है।

दिल्ली की स्वच्छता रैंकिंग		
पहले पखवारे की रैंकिंग		
दिल्ली के निगम		रैंक
1.	पूर्वी निगम	42
2.	उत्तरी निगम	44
3.	दक्षिणी निगम	47
दूसरे पखवारे की रैंकिंग		
1.	पूर्वी निगम	42
2.	उत्तरी निगम	44
3.	दक्षिणी निगम	47

- महापौर ने लोगों से भी की पूर्वी दिल्ली निगम क्षेत्र को स्वच्छ रखने में सहयोग देने की अपील

दैनिक जागरण, नई दिल्ली, बुधवार 1 जनवरी 2020

दिल्ली को बेहतर शहर बनाने के लिए पुरी से मिले सी.एम.

अगले 5 साल मिल कर काम करने का दिया भरोसा: सीएम

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी से औपचारिक मुलाकात की। दोनों नेताओं ने दिल्ली को सबसे खूबसूरत और बेहतरीन शहर बनाने के सपने पर साथ मिल कर काम करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले काफी मामले शहरी विकास मंत्रालय से ही संबंधित होते है। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी से यह पहली मुलाकात थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम दोनों ने यह तय किया है कि दिल्ली के लोगों और दिल्ली के विकास के लिए हम मिल कर अगले पाँच साल काम करेंगें। दोनों का सपना है कि दिल्ली देश की राजधानी के साथ दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बने।

मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के लोगों को और ज्यादा सुविधाएँ पहुँचाने के लिए और दिल्ली को सुंदर व अच्छा बनाने के लिए उनके मंत्रालय के साथ मिलकर हमारी सरकार काम करेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हिंसा से पीड़ित लोगों को तुरंत मदद पहुँचाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा अभी दिल्ली सरकार पीड़ितों के राहत और पुनर्वास के लिए लगी हुई है। मैं खुद संबंधित अधिकारियों से हर रोज इस संबंध में विस्तृत जानकारी भी ले रहा हूँ । इसके साथ हम लोग जमीन पर भी काम कर रहे हैं। कुछ मदद की जरूरत होगी तो हम जरूर केंद्र सरकार से मदद माँगेगे। केजरीवाल ने कहा कि सरकार ने दंगा प्रभावित इलाकों में खाना पहुंचाया जा रहा

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ

है और पीड़ितों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है।

नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 1 मार्च, 2020

सफर होगा आसान

राजधानी में लोगों को उनके घर के नजदीक तक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मेट्रो स्टेशनों को मल्टी मॉडल इंटिग्रेशन (एमएमआई) प्रणाली विकसित करने का प्रस्ताव है। कई मेट्रो स्टेशनों पर यह सुविधा पहले से उपलब्ध है और अब 60 अन्य स्टेशनों को इसमें शामिल किया जा रहा है। इन स्टेशनों से यात्रियों को बसें, ऑटो व ई-रिक्शा सहित अन्य सार्वजनिक वाहन आसानी से मिल सकेंगे। ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लिए इन मेट्रो स्टेशनों पर वाहन चार्जिंग की भी सुविधा होगी। इस तरह से इस योजना से न सिर्फ दिल्लीवासियों को घर से अपने कार्यालय व्यापारिक संस्थान और अन्य स्थानों पर जाने व वापस घर लौटने में सुविधा होगी, बल्कि दिल्ली की आबोहवा को सुधारने में भी कारगर साबित होगी। इसके साथ ही महिला सुरक्षा के लिए भी यह जरूरी है। कई मेट्रो स्टेशनों पर शाम ढलते ही बस, आॉटो व अन्य सार्वजनिक वाहन आसानी से नहीं मिलते हैं जिससे यात्रियों विशेषकर महिलाओं को परेशानी होती है। इसी तरह से मेट्रो स्टेशन से घर पहुंचने में होने वाली परेशानी से बचने के लिए लोग निजी वाहन से सफर करते हैं जिससे सड़कों पर वाहनों की भीड़ बढ़ती है। एमएमआई से सड़कों पर भीड़ कम करने में भी मदद मिलेगी।

एमएमआई प्रणाली विकसित होने से मेट्रो यात्रियों को बस, ऑटो व ई-रिक्शा आसानी से मिल सकेंगे

यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग एंड इंजीनियरिग सेंटर (यूटिपैक) की बैठक में इसके प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। सभी संबंधित एजेंसियों को इस पर तेजी से काम करने को निर्देश दिया गया है। दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी), यातायात पुलिस, परिवहन विभाग और लोक निर्माण विभाग को आपसी तालमेल के साथ काम करके इसे समय पर पूरा करना चाहिए। इसके साथ ही सरकार को इसकी नियमित निगरानी भी करनी होगी जिससे कि इस काम में किसी तरह की कोताही न हो। चरणबद्ध तरीके से सभी मेट्रो स्टेशनों पर यह सुविधा उपलब्ध कराने की जरूरत है।

दैनिक जागरण नई दिल्ली रविवार 8 मार्च 2020

दिल्ली में बढ़ेगी हरियाली, डीडीए कर रहा मास्टर प्लान – 2041 की तैयारी

पर्यावरण के क्षेत्र में काम करने वाली देश-विदेश की 15 एजेंसियों से ली जा रही सेवाएँ

वायु और ध्वनि प्रदूषण का दंश झेल रही राजधानी भविष्य में ऐसी न रहेगी। यहाँ हरियाली भी बढ़ेगी और ढांचागत विकास सहित सभी परियोजनाएँ भी पर्यावरण अनुकूल होंगी। दरअसल, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने मास्टर प्लान - 2041 का मुख्य फोकस ही पर्यावरण रखा

है। इसके लिए हर स्तर पर रायशुमारी की जा रही है और कार्ययोजना भी तैयार हो रही है।

डीडीए ने दिल्ली के प्रदूषण की मौजूदा और भावी स्थिति का आकलन करने के लिए पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहीं देश-विदेश की 15 एजंसियों की सेवाएँ ली हैं। यह सभी एजेंसियाँ अपनी रिपोर्ट बना रही हैं। इसमें पर्यावरण की बेहतरी के लिए कुछ कारगर सुझाव भी डाले जाएँगे। कार्ययोजना के लिए डीडीए देश व विदेश के जिन नौ संस्थानों के विशेषज्ञों के साथ मिलकर काम कर रहा है, उनमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) दिल्ली, आइआइटी दिल्ली, इंटेक, क्लीन एयर एशिया, डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, डब्ल्यूआरआई इंडिया, दिल्ली विश्वविद्यालय, आइआइटी खडगपुर और टेरी के नाम शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक मास्टर प्लान 2041 की कार्ययोजना पर्यावरण के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन को भी ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। इसके तहत हवा, पानी और मिट्टी तीनों की गुणवत्ता को बेहतर बनाने का प्रयास होगा। ढांचागत विकास, परिवहन सुविधाओं के विस्तार और सार्वजनिक स्थलों का खाका भी इस तरह से बनाया जा रहा है कि उससे पर्यावरण संरक्षण हो सके। दूषित पानी की रिसाइकिलिंग और कचरा प्रबंधन पर भी पुख्ता कार्ययोजना रहेगी।

डेढ साल से भी कम समय रह जाने के बावजूद मास्टर प्लान का अभी बचा है बहुत काम

मास्टर प्लान - 2041 की वैद्यता दिसंबर 2021 में खत्म हो जाएगी। इसलिए इस समयावधि से करीब तीन माह पूर्व अगला मास्टर प्लान तैयार होना अनिवार्य है ताकि समय सीमा के भीतर उसे लागू कर दिया जाए। लेकिन डेढ़ साल से भी कम समय रह जाने के बावजूद मास्टर प्लान 2041 का अभी बहुत काम बचा हुआ है अगले 20 सालों में दिल्ली की आवासीय जरूरतों, आबादी के घनत्व, ठोस कचरा प्रबंधन, सामुदायिक सेवाओं, पर्यावरण एवं हरित क्षेत्र इत्यादि तमाम संबंधित क्षेत्रों के लिए आँकड़े तो संग्रहित कर लिए गए हैं, लेकिन विशेषज्ञों द्वारा इन सभी क्षेत्रों के लिए विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट और कार्ययोजना तैयार करने का काम अभी चल रहा हैं।

हमारी कोशिश है कि 2021 के मास्टर प्लान की तरह दिल्ली का नया मास्टर प्लान जनता की जरूरतों से परे वातानुकूलित कमरों में बैठकर न बनाया जाए। इसी वजह से इसमें बार-बार बदलाव करना पड़ा है। 2041 के मास्टर प्लान में डीडीए इस गलती को दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए शहर को खूबसूरत, सुविधाजनक जाम-प्रदूषण रहित और भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर तमाम अध्ययन करवाए जा रहे हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल भी समय-समय पर इसी दिशा में बैठकें ले रहें है।

तरूण कपूर, उपाध्यक्ष, डीडीए

मास्टर प्लान 2021 के कुछ प्रमुख बिंदु

- फिलहाल दिल्ली में कुल क्षेत्रफल का 19 फीसद ही हरित क्षेत्र है। इसे बढ़ाया जाएगा।
- छत पर गार्डन और घर के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा।
- शहरी क्षेत्र में भी खेतीबाड़ी से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा।
- सभी बड़े नालों की सफाई कर उनके किनारे ग्रीन वॉक वे बनाए जाएंगे।
- ऐतिहासिक इमारतों और सार्वजनिक स्थलों के आसपास हरित क्षेत्र विकसित किए जाएँगे।
- वन क्षेत्र में वृद्धि की जाएगी। बायोडायवर्सिटी एवं अन्य पार्को की संख्या भी बढ़ाई जाएगी।

स्वच्छता के बगैर शहरी विकास संभव नहीं: पुरी

शहरी स्वच्छता को ध्यान में रखे बिना शहरी विकास की अवधारणा अकल्पनीय है। केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शहरीकरण के तेज प्रसार का जिक्र करते हुए कहा, 'वर्ष 2020 तक देश की 40 फीसद से अधिक आबादी शहरों में बस जाएगी। देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 70 फीसद हिस्सा शहरों से प्राप्त होगा। ऐसे में शहरीकरण की वृद्धि दर को कम करके नहीं आंकना चाहिए।' पुरी गुरूवार को यहाँ आयोजित एक समारोह में 'भविष्य की शहरी स्वच्छता' विषय पर बोल रहे थे।

पुरी ने हैरानी जताते हुए कहा, 'भारत में शहरीकरण की दर और वृद्धि को कम आंकने की सामान्य प्रवृति रही है। जबकि वर्ष 2030 तक भारत में शहरी आबादी 60 करोड़ हो जाएगी जो देश की 40 फीसद होगी। शहरी क्षेत्र की जीडीपी में कुल हिस्सेदारी 70 फीसदी, कर राजस्व का 85 और 70 फीसद नौकरियां शहरी क्षेत्रों से सृजित होंगी।' देश की अर्थव्यवस्था का मौजूदा आकार फिलहाल 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। इसकी तैयारियों में जुट जाना चाहिए। इसके मद्देनजर शहरी स्वच्छता की महता बहुत बढ़ जाएगी। इसके बगैर शहरी विकास संभव नहीं होगा।

शहरी विकास की दिशा में की गई पहल के बारे में पुरी ने बताया कि वर्ष 2004 से 2014 तक जहाँ शहरी बुनियादी ढांचा क्षेत्र में पौने दो लाख करोड़ रूपये खर्च किए गए थे, वहीं वर्ष 2015 से 2020 तक 9.70 लाख करोड़ रूपये खर्च किए गए। शहरी विकास मंत्री ने राजग सरकार की नीतियों की सफलता का श्रेय जनभागीदारी को दिया।

हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीतियाँ स्थानीय जरूरतों के हिसाब से बनाई जानी चाहिए। सफाई कर्मचारियों के कल्याण के बारे में उन्होंने कहा कि हाथ से कूड़ा उठाने की प्रथा पर केवल प्रतिबंध लगाने से इसे समाप्त करना संभव नहीं है। इसके लिए सफाई कर्मियों को सुरक्षा गियर प्रदान करने, अनुबंधों में बदलाव लाना, मजबूत कानूनों को बनाए रखना और उनके सामाजिक उत्थान में सहायता करना भी महत्वपूर्ण है।

परमेश्वरन ने कहा स्वच्छता में निवेश का मिलता है चार गुना लाभ

केन्द्रीय जल शक्ति सचिव परमेश्वरन अय्यर ने सामारोह में कहा कि स्वच्छ भारत मिशन में शहरी-ग्रामीण विभाजन को सीखने के लिए कई सबक हैं। इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में व्यक्तिगत रूप से शामिल किया था। पिछले पाँच वर्षों में लोगो की भागीदारी को वास्तव में एक जन-आंदोलन के रूप में सामने लाया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के पहले चरण से सीखने के लिए चार प्रमुख सबक रहे। सार्वजनिक स्वच्छता में अधिक निवेश करने की आवश्यकता है, इस निवेश में 400 फीसद का रिटर्न है। मिशन के नए चरण में ओडीएफ इंडिया, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, 2022 तक एकल उपयोग प्लास्टिक के उपयोग को समाप्त किया जाना है।

दैनिक जागरण, नई दिल्ली, शुक्रवार 28 फरवरी 2020

साक्षात्कार

रा.न.का.सं. ने महिलाओं पर कोविड-19 के प्रभाव पर सह-संस्थापक एवं सी.ई.ओ. कल्पना विस्वानाथ का साक्षात्कार लिया।

1. सेफ्टीपिन का मुख्य उद्देश्य क्या है?

सेफ़्टीपिन का प्रमुख फोकस इस समझ के साथ गलियों व सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उपकरण व आँकड़े उपलब्ध कराना है कि असुरक्षित सार्वजनिक स्थल महिलाओं एवं लड़कियों को शहरों के अवसरों एवं उनके अधिकारों से वंचित करते हैं।

2. आप कोविड के प्रभाव को किस प्रकार से देखते हैं विशेष रुप से महिलाओं पर ?

आज दुनिया भर में सार्वजनिक स्थान और सड़कें खाली हो रही हैं और कुछ स्थान पहले से ही भूतों के शहरों की तरह दिखते हैं। हम एक महीने पहले भी इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे जब हम पहले से ही वायरस के प्रसार में थे। अब हमारे शहर और सड़कें खाली हो रही हैं, लोग अपने घरों में रह रहे हैं। कुछ के लिए, यह अवधि अपने परिवारों के साथ बंधने, बहुत जरूरी विराम लेने, रफ्तार को धीमा करने, फूलों को सूंघने के लिए सीखने का अवसर होगा। परंतु महिलाओं के लिए यह अवधि बहुत मुश्किल हो सकती है। महिलाओं पर इसका प्रभाव अलग-अलग रूपों में होगा।

क. विश्व स्तर पर, महिलाएँ घर के कामकाज में पुरुषों की तुलना में पहले से ही कई घंटे अधिक लगाती हैं। अनेक पश्चिमी देशों में, पिछले 50 वर्षों में पुरुषों द्वारा किए जाने वाले घर के कामकाज के घंटे बढ़ाए गए हैं, परंतु वे महिलाओं की तुलना में अभी भी आधे से भी कम समय बिताते हैं। आई.एल.ओ. के आंकड़ों से पता चला है कि भारत में महिलाएँ एक दिन में 312 मिनट घर का काम करती हैं, जबकि पुरुष केवल 29 मिनट काम करते हैं। अतः, इसकी बहुत अधिक संभावना है कि महिलाओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है (हालांकि ऐसे कुछ पुरुष और बच्चे होंगे जो कुछ बोझ बांट लेंगें)।

ख. देखभाल के काम में हिस्सेदारी के बावजूद, महिलाओं सहित कईयों के लिए घर सबसे सुरक्षित स्थान नहीं हैं। वैश्विक आंकड़े दर्शातें हैं कि तीन में से एक महिला हिंसा का शिकार होती है। घरेलू और परिचित साथी द्वारा हिंसा वैश्विक मुद्दे हैं। वायरस के प्रसार से निपटने की प्रक्रिया में, लोगों के लिए अधिक से अधिक घर में रहना आवश्यक हो गया है, चाहे देश लॉकडाउन में हो या न हो।

ग. अनुसंधान ने प्राकृतिक आपदाओं और पारस्परिक हिंसा की बढ़ी हुई दरों के बीच संबंध दर्शाया है। 1992 में दक्षिणी फ्लोरिडा में हरिकेन एंड्रयू के बाद, मियामी की हेल्पलाइन पर वैवाहिक दुर्व्यवहार के फोन 50% बढ़ गए थे। चीन में, पिछले महीनों के दौरान, महिलाओं द्वारा लोकल सोशल मीडिया वैबिओ पर पहुँचने एवं समस्या को साझा करने के लिए स्थान उपलब्ध कराने वाले घरेलू-हिंसा विरोधी हैशटैग का 3000 से अधिक बार उपयोग किया गया था। आँकड़ों से पता चलता है कि फ्रांस में 17 मार्च से, अर्थात जब से देश लॉकडाउन में गया है , घरेलू हिंसा के मामले 30% बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा साझा किए गए आँकड़ें दर्शातें है कि लॉकडाउन की इस अवधि के दौरान उनके पास आने वाली पीड़ितों की कॉलों की संख्या दोगुनी थी। एक निरंतर लॉकडाउन या किसी प्रकार का एकांत संवेदनशील परिस्थितियों में महिलाओं के लिए स्थिति को बदतर बनाने वाला है।

3. इस संकट के समय में आप क्या उपाय सुझाती हैं?

यह सरकारों के साथ-साथ महिलाओं के समूहों और अन्य लोगों के लिए भी एक महत्वपूर्ण है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस दौरान महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए सेवाएँ उपलब्ध हों। विश्व भर में स्वास्थ्य सेवाएँ पहले से ही महामारी से निपटने की कोशिश कर रही हैं और इसका प्रभाव अन्य समस्याओं के निवारण पर पड़ेगा। लेकिन हिंसक घरेलू परिस्थितियों में महिलाओं के लिए सुरक्षा तंत्र को लागू किया जाना चाहिए।

1. सबसे पहले, सभी हेल्पलाइनों को कार्य करना जारी रखना चाहिए और उनके बारे में जानकारी व्यापक रूप से उपलब्ध होनी चाहिए।
2. महिलाओं के लिए आश्रयों एवं गंभीर मामलों में पुलिस द्वारा तुरंत प्रतिक्रिया की आवश्यकता है। कुछ देशों में एक कोड प्रणाली है जिससे महिलाएँ जब फार्मेसी में जाए तो वे यह संकेत दे सकती हैं कि वे अपने घर के भीतर हिंसा की स्थिति में हैं।
3. हम जानते हैं कि भारत में, इनमें से अनेक सेवाएँ पहले से ही कमजोर हैं और इस स्थिति में आगे इसको और कमजोर करने जा रहे हैं। घरेलू हिंसा को अक्सर पड़ोसियों द्वारा अनदेखा किया जाता है जो इसके बारे में जानते हैं। यह एक असाधारण समय है और आम नागरिक एक-दूसरे की मदद के लिए आगे आ रहे हैं और यह समय हमारे समुदायों की देखभाल के लिए अतिरिक्त कदम उठाने का हो सकता है। हम एक ऐसे व्यक्ति तक पहुँचें, जिसे मदद की ज़रूरत हो।
4. सरकारों को ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए कानूनी प्रावधानों और विकल्पों के बारे में जानकारी सार्वजनिक करनी चाहिए।

कल्पना विस्वानाथ सेफ्टीपिन की सह-संस्थापक एवं सी.ई.ओ. हैं, जो शहरों में महिलाओं की सुरक्षा और गतिशीलता के लिए एक प्रौद्योगिकी मंच है। सेफ़्टीपिन अब और अधिक चलने योग्य स्थल एवं समावेशी शहरी स्थल बनाने में , विशेष रूप से लिंग की दृष्टि से, सहायता करने के लिए 20 से अधिक शहरों के साथ काम करता है। उसने दुनिया भर में सुरक्षित शहरों के लिए यू.एन. के साथ तकनीकी सलाहकार के रूप में काम किया है। वह यू.एन.हैबिटाट के लिंग संबंधित मुद्दों पर सलाहकारी समूह की सदस्य, इंटरनेशनल सेंटर फॉर दि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम (आई.सी.पी.सी.), कनाडा की बोर्ड सदस्य, एस.एल.ओ.सी.ए.टी. की स्वतंत्र बोर्ड सदस्य, जागोरी की अध्यक्ष एवं दिल्ली सरकार की महिलाओं की सुरक्षा समिति की सदस्य हैं। उनके कार्य व्यापक रूप से प्रकाशित हैं और उन्होंने बिल्डिंग जेंडर इनक्लूसिव सिटीज़ पर एक पुस्तक का सह-संपादन किया है। वह एक प्रमुख समाचार पत्र के लिए एक साप्ताहिक कॉलम लिखती है!

स्त्रोत: हितेश वैद्य, निदेशक (रा.न.क.सं.)
हिन्दी अनुवाद: पूनम मल्होत्रा

सुश्री दिव्या दत्ता, उपाध्यक्ष, बरेली विकास प्राधिकरण का साक्षात्कार

सुश्री दिव्या मित्तल, आई.ए.एस. (उत्तर प्रदेश 2013) उ.प्र. केडर की एक आई.ए.एस. अधिकारी हैं। एल.बी.एस.एन.ए.ए., मसूरी में प्रशिक्षण के उपरांत ,जहाँ उन्होंने अपने बैच में टॉप किया एवं अशोक बंबावाले पुरस्कार जीता, उन्हें नीति आयोग में अपनी नियुक्ति के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सिटीजन सेंट्रिक सर्विस मॉनीटरिंग पर अपने विचारों को प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ। भारतीय प्रशासनिक सेवा में कार्यग्रहण करने से पूर्व, दिव्या ने क्रेडिट डेरिवेटिव व्यापारी के रुप में जे.पी. मॉरगन लंदन में निवेश बैंकर के पद पर कार्य किया था। वहाँ उन्होंने वैल्यु डेरिवेटिव एवं जोखिम के लिए एक जटिल मॉडल विकसित किया जिससे विदेशी डेरिवेटिव के एक बहु-बिलियन डॉलर पोर्टफोलियो को प्रबंधित किया गया। दिव्या भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई.आई.टी.), दिल्ली से स्नातक हैं और उन्होंने आई.आई.एम. बैंगलोर से एम.बी.ए. किया है तथा आई.आई.एम.बी. व आई.आई.टी.डी. दोनों से निदेशक की योग्यता प्रमाणपत्र धारक है। हमने उनका एक संक्षिप्त साक्षात्कार लिया:

आपको बरेली विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष के रूप में तैनात किया गया है। आपने बरेली शहर के विकास के लिए क्या कदम उठाए?

पिछले एक साल में, हमने वित्तीय, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं पर्यावरण सहित अनेक मुद्दों पर कार्य किया। हमारा उद्देश्य संगठन की बैलेंस शीट को मजबूत करने के साथ-साथ लोगों के जीवन में सुधार करना है।

हमने सुना है कि वर्ष 2019 तक बीडीए एक घाटे में चलने वाला संगठन था। इस समय वित्तीय स्थिति किस प्रकार है?

बीडीए पिछले कुछ वर्षों से घाटे में चल रहा था। इस पर बहुत बड़ा ऋण था, जो ब्याज और वेतन लागतों को पूरा करने के लिए अधिक ऋण के रूप में बढ़ रहा था। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष हम 40 करोड़ रुपये से अधिक के लाभ की रिपोर्ट करेंगे। टीम ने वास्तव में कड़ी मेहनत की है और बीडीए अब आर्थिक रूप से मजबूत है और हम संगठन को पुनर्जीवित करने में सक्षम हैं। इसके

अलावा भूमि अधिग्रहण भी किया गया था जो 2002 में किया गया था, लेकिन हम अब तक किसानों को मुआवजा देने में सक्षम नहीं थे। हमने जो मुनाफा कमाया है, उससे हम किसानों को पूरा भुगतान कर पाए हैं।

यह बरेली झुमका की कहानियों के बारे में हर जगह क्या खबरें आ रही हैं?

जैसा कि आप जानते हैं, बरेली का नाम झुमके का पर्याय रहा है क्योंकि साधनाजी ने 'झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में " नामक गीत पर नृत्य किया था। बाद में, माधुरी दीक्षित ने 'मेरा झुमका ..जो गिरा था बरेली के बाज़ार में' और कीर्ति सेनन ने 'बरेली वाले झुमके पे जिया ललचाये' पर नृत्य किया। यह प्रतिष्ठित प्रतीकात्मक संबंध अब तक भौतिक रुप में कहीं नहीं था । उस झुमके को जनता के साथ

साझेदारी में बरेली में स्थापित किया गया है। हमने शहर को वही प्रतिष्ठित लैण्डमार्क देने के लिए दिल्ली-बरेली रोड पर शहर के प्रवेश द्वार अर्थात् जीरो पॉइंट पर 270 किलो के झुमके का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण है कि इस परियोजना पर कोई भी सरकारी धन खर्च नहीं किया गया था और धन को शहर के लोगों से जुटाया गया था।

आपने सांस्कृतिक और सामाजिक कदमों के बारे में उल्लेख किया है, तो क्या आप हमें उन के बारे में कुछ और बता सकते हैं?

एक प्रतिष्ठित लैंडमार्क के रूप में झुमके के अलावा, हम कई मोर्चों पर काम कर रहे हैं। मंदिरों में तालाबों का बायोरेमेडिएशन।

लोगों को वृक्षारोपण करने और इस गतिविधि को जन आंदोलन बनाने के उद्देश्य से हमने बरेली चैप्टर ऑफ सी.आर.इ.डी.ए.आई. (एक बिल्डर एसोसिएशन) के सहयोग से 'टुगेदर4ट्रीस' के एक भाग के रुप में उन लोगों को 11000 पेड़ और 2000 ट्री गार्डस नि:शुल्क प्रदान किए जो एक पेड़ को गोद लेने के इच्छुक थे।

हम बरेली में एक साइंस पार्क स्थापित करने सहित कई अन्य परियोजनाओं पर भी काम कर रहे हैं, जो पूरे राज्य में अपनी तरह का सबसे बड़ा और ग्रीन कवर को बेहतर बनाने के लिए मियावाकी स्टाइल सिटी फॉरेस्ट विकसित करेगा। मेरा प्रयास लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करने का है।

बहुत सारे काम करने के लिए हैं, लेकिन कोई विशेष संतोषजनक काम जो आपने बी.डी.ए. के उपाध्यक्ष के रूप में किया है?

आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक बीडीए कॉलोनी है, जिसे करगना आवास योजना कहा जाता है, जिसमें लगभग 756 परिवार हैं। यह 1990 में शुरू किया गया था, लेकिन तुरंत कुछ विवाद पैदा हो गए, जिसके कारण बीडीए लोगों के नाम पर संपत्तियों को दर्ज करने में असमर्थ था। विवाद के कारण कॉलोनी का रख-रखाव भी बंद हो गया, जिससे विकास कार्य ठप हो गए। हमने वहाँ के निवासियों के साथ बात की और कई दौर की चर्चाओं के बाद, हम एक पारस्परिक रूप से सहमत समाधान तक पहुँचने में सक्षम थे, जिसके माध्यम से हम अब वहाँ रहने वाले 700 + परिवारों को संपत्ति का अधिकार दे पा रहे हैं। इसके अलावा लंबित किश्तें अब आने लगी हैं, जिनका उपयोग बीडीए द्वारा विकास और रखरखाव कार्यों को फिर से शुरू करने के लिए किया जा रहा है।

यह मेरे लिए बहुत संतोषजनक था क्योंकि यह मामला 30 से अधिक वर्षों से विवादित था और इसका वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन पर काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था। इस समस्या के समाधान के साथ, वहाँ रहने वाले लोगों के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार होगा।

आप BDA के अलावा अपनी सबसे यादगार पोस्टिंग के रूप में किसे स्थान देंगें?

मैं गोंडा के प्रमुख विकास अधिकारी (सी.डी. ओ.) के रुप में नियुक्त थी। वहाँ मुझे कई दिलचस्प चीजें करने को मिलीं और मुझे लगता है कि मैं कई लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित करने में सक्षम थी। वह एक पोस्टिंग है जो मेरे दिल के बहुत करीब है।

गोंडा में आपके द्वारा की गई किसी भी अभिनव पहल के बारे में बताएँ?

स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 के अनुसार मैं भारत के सबसे गंदे जिला गोण्डा में खुले में शौच के खिलाफ व्यवहार में प्रभावकारी परिवर्तन के साथ संघर्ष कर रही थी। विश्व पर्यावरण दिवस 2017 को , हमने उन स्थानों पर बरगद, पीपल, तुलसी आदि सांस्कृतिक रूप से पवित्र पौधों को लगाने का फैसला किया, जहाँ लोग खुले में शौच कर रहे थे। इस पहल को शुरू करने के लिए 80 गाँवों का चयन किया गया था। शौच से जुड़े स्थानों में धार्मिक प्रतीकों को देखकर लोग हैरान थे। इस आघात ने खुले में शौच को कम किया और शौचालय के उपयोग की दर में वृद्धि हुई। जैव विविधता पर सम्मेलन द्वारा आयोजित बॉयोफिन अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में इस विचार की सराहना की गई और इसे भारत सरकार के लिए एम.ओ.सी.सी. व्याख्यान के रूप में भी प्रलेखित किया गया।

तो क्या इससे लोगों की आदतों पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ा?

मुझे लगता है कि इससे प्रभाव पड़ा है। इसके अलावा हमने स्कूल की पाठ्यपुस्तकों पर स्वच्छता स्टिकर, दफ्तर की गाड़ियों को स्वच्छता रथ में परिवर्तित करना (उन पर स्वच्छता संबंधी स्टिकर चिपका कर), महिला सरपंचों को "टॉयलेट एक प्रेम कथा" फिल्म को दिखाना (उनमें से अनेकों ने थिएटर में पहली बार फिल्म देखी थी) जैसे कार्य एवं अनेक अन्य कार्य किए। इस सब के कारण स्वच्छता के बारे में दृष्टिकोण में एक बड़ा बदलाव आया और यह 'लोगों का आंदोलन' बन गया।

तब गोंडा ने सबसे कम समय में सबसे अधिक शौचालयों का निर्माण करके इतिहास रचा। प्रमुख बिंदु यह है कि प्रशासन ने 'मिशन 32' के समन्वय के द्वारा केवल एक सुविधा के रूप में काम किया और लाभार्थियों ने स्वयं 120 घंटों में 32,000 शौचालयों का निर्माण किया। आधी रात के दौरान ईंटों को ढोने और निर्माण के साथ हर कोई "जन आंदोलन' का साक्षी बना। 120 घंटों में 32000 शौचालयों के निर्माण ने हमें' इंडिया बुक ऑफ़ रिकॉर्ड्स 'में स्थान दिलाया।

कोई भी अन्य कार्य या अंतर्दृष्टि जिसने आपको इतना हिला दिया कि जिससे आपको लगता है कि आप अभी भी लोगों के जीवन को प्रभावित करने वाले बेहतर कार्य कर सकती हैं?

गोंडा में मुख्य विकास अधिकारी के रूप में मेरी पोस्टिंग के समय, एक गरीब महिला ने मुझसे पूछा कि मकानों के लिए मिलने वाली सब्सिडी कभी गरीबों तक क्यों नहीं पहुँची। उसके शब्दों ने नहीं बल्कि इस बात ने मेरा दिल तोड़ दिया वह निवारण की उम्मीद भी नहीं करती थी। व्यक्तिगत जाँच पर, कथन सही निकला। मेरे लिए अमीरों द्वारा गरीबों से की गई चोरी सबसे खराब प्रकार की चोरी है। कानून का शासन स्थापित करना पड़ा। शक्तिशाली गोपनीय स्वार्थों के दबावों को खारिज करते हुए, मैंने टीम को गलत काम करने वालों पर कार्रवाई करने का अधिकार दिया। मेरी प्रतिज्ञा यह थी कि उनको कोई क्षति नहीं होने दूँगी , और उन्होंने उसके बदले में अभूतपूर्व परिणाम के साथ एक नॉकआउट पंच दिया -16 टीमों ने 64 गांवों में छापा मारा, 280 अपात्र लाभार्थी मिले, 57 अधिकारियों और गैर-अधिकारियों दोनों पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई । लेकिन असली सफलता यह थी कि सजा से बचने के लिए 1890 घरों की सब्सिडी सरेंडर कर दी गई थी, जो तब गरीबों को दी गई थी। मुझे यह केस अध्ययन एल.बी.एस. नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मसूरी में आई.ए.एस. प्रोबेशनर्स के साथ साझा करने का अवसर मिला।

यह कार्य मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं गरीबों से चोरी करने की श्रृंखला को कुछ हद तक तोड़ सकती थी और उन्हें उनके अधिकार देने में सक्षम थी।

स्रोत: www.indianbureucracy.com

हिंदी अनुवाद-पूनम मल्होत्रा

गतिविधियाँ

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में संविधान दिवस का आयोजन

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार संस्थान में मार्च से नवंबर 2020 के दौरान संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस पर संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किए जाने की 70वीं वर्षगांठ के अवसर पर 26 नवंबर, 2019 से राष्ट्रव्यापी गतिविधियों की शुरुआत की गई है। हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इन गतिविधियों का उद्देश्य भारतीय संविधान में व्यक्त किए गए मूल्यों और सिद्धांतों को नागरिकों के समक्ष दोहराना और पुन: अवगत करना है तथा सभी भारतीयों को भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने में अपनी उचित भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना है।

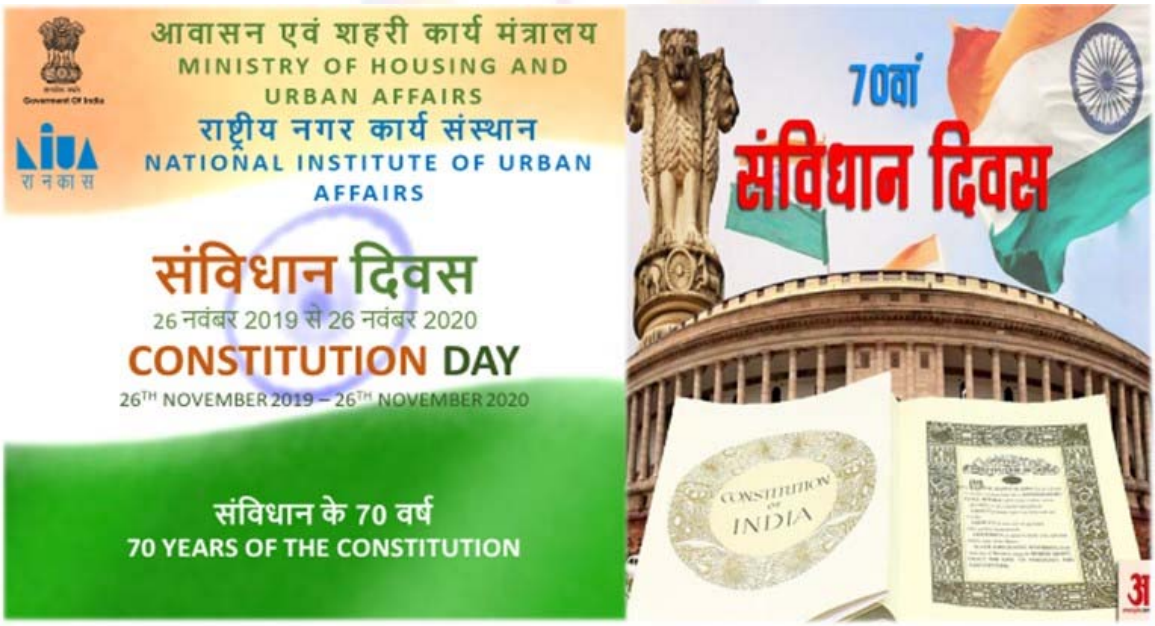

संविधान दिवस के आयोजन हेतु एक पोस्टर भी तैयार किया गया

मार्च से नवंबर 2020 अवधि के दौरान आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों का कैलेंडर बनाया गया। इसके साथ ही 14 अप्रैल 2020 को एक विशेष गतिविधि का आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में संविधान दिवस मनाने के लिए के दौरान विभिन्न गतिविधियों की रुपरेखा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	महीना	गतिविधि का नाम	आयोजित की जाने वाली गतिविधि में फोकस किए जाने वाले "मौलिक कर्तव्य" का विवरण	आयोजन की प्रस्तावित तिथि
1.	मार्च 2020	संविधान की प्रस्तावना पढ़ें	संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना	27 मार्च 2020
2	अप्रैल 2020	निबंध प्रतियोगिता	सार्वजनिक संपति की सुरक्षा और हिंसा को रोकने के लिए	14 अप्रैल 2020

"शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ "

3	मई 2020	पौधा रोपण	"प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार" - संस्थान के वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा परिसर में पौधा रोपण	मई 2020
4	जून 2020	1. विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान 2. "संवाद" पत्रिका में "संविधान दिवस" पर विशेष स्तंभ	1. "मौलिक कर्तव्यों" पर किसी विशेषज्ञ द्वारा व्याख्यान। 2. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में संविधान दिवस मनाने की गतिविधियों का सचित्र प्रकाशन ।	जून 2020
5	जुलाई 2020	स्लोगन प्रतियोगिता	भारत के संविधान/ संविधान के किसी विशेष भाग/नागरिक के कर्तव्य व अधिकार/ के प्रति सम्मान दर्शाने वाले स्लोगन की प्रतियोगिता।	जुलाई 2020
6	अगस्त 2020	डा.भीमराव अम्बेडकर पर वृतचित्र का प्रदर्शन	डा.भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर उनके जीवन और उनके संघर्ष के विषय में जानकारी देना ।	अगस्त 2020
7	सितम्बर 2020	प्रश्नोत्तरी (quiz)	भारत के संविधान पर आधारित प्रश्नोत्तरी	सितम्बर 2020
8	अक्टूबर 2020	संस्थान में "एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध" विषय पर कार्यशाला	1. निदेशक महोदय द्वारा उल्लिखित विषय के संबंध में जागरुकता आधारित संबोधन दिया जाएगा। 2. संस्थान में "एकल प्रयोग प्लास्टिक पर पूर्णतया प्रतिबंध" विषय पर एक पी.पी.टी.- जिसका आयोजन "स्वच्छ भारत अभियान" की टीम द्वारा किया जाएगा।	अक्टूबर 2020
9	नवम्बर 2020	"अधिकार एवं कर्तव्य संवाद"	1."एक नागरिक के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों " पर सामूहिक चर्चा। 2. समापन समारोह का आयोजन-पुरस्कार वितरण एवं जलपान ।	नवम्बर 2020

संस्थान में आयोजित उक्त गतिविधियों में से संविधान की प्रस्तावना का वाचन एक महत्वपूर्ण गतिविधि थी। संविधान की प्रस्तावना निम्न्लिखित है:

भारत का संविधान
प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक [सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य} बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और {राष्ट्र की एकता और अखंडता} सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए हम दृढ़संकल्प होकर इस संविधान को आत्मार्पित करते हैं।

उपरोक्त वर्णित गतिविधियों का आयोजन राजभाषा में ही किया जाना एवं प्रतियोगिताओं का माध्यम हिंदी भाषा किया जाना अपेक्षित है। चूँकि उक्त आयोजन की रिपोर्ट एवं फोटो न्याय विभाग की वेबसाइट (department of justice) पर अपलोड किया जाना अपेक्षित है , अत: समस्त गतिविधियों से संबंधित फोटो का लिया जाना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त गतिविधियों में पर्यावरण अनुकूल सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित निबंध, स्लोगन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले उम्मीदवारों को किसी विशिष्ट व्यक्ति के कर कमलों द्वारा पर्यावरण अनुकूल सामग्री का अथवा नगद पुरस्कार का वितरण किया जाएगा।

संस्थान में महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती के अवसर पर स्मरण-उत्सव का आयोजन

भारत सरकार द्वारा महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती को 2 अक्टूबर 2018 से 2 अक्टूबर 2020 तक दो वर्षों की अवधि के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा अनेक रचनात्मक गतिविधियाँ आयोजित की जा रही हैं एवं इन समस्त गतिविधियों का समंवय करने के लिए संस्कृति मंत्रालय नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय समिति का गठन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गाँधी की 150वीं जयंती मनाने के लिए किया गया था। इस समिति में उप-राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, गाँधीवादी, विचारक और सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं। समिति में नौ अंतर्राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, जिनमें संयुक्त राष्ट्र के दो पूर्व महासचिव - श्री कोफी अन्नान और श्री बान की मून शामिल हैं।

आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय के निदेशानुसार महात्मा गाँधी की 150 वीं जयंती के लिए महात्मा गाँधी की स्मृति में रा.न.का.सं. में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन करने के लिए वार्षिक योजना तैयार की गई।

महात्मा गाँधी की स्मृति में रा.न.का.सं. में निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा :

महीना	गतिविधि का नाम
मई 2020	महात्मा गाँधी पर उद्धरण
जून 2020	रा.न.का.सं. में महात्मा गाँधी के जीवन पर एक लघु फिल्म का प्रदर्शन
जुलाई 2020	आई.एच.सी. के परिसर में महात्मा गाँधी की स्मृति में पदयात्रा
अगस्त 2020	संस्थान की हिंदी गृहपत्रिका "संवाद" में महात्मा गाँधी के जीवन पर एक समर्पित स्तंभ
सितम्बर 2020	महात्मा गाँधी के जीवन पर आधारित हिंदी पखवाड़े की गतिविधियों का आयोजन
अक्टूबर 2020	रा.न.का.सं. में सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्देशित फिल्म "गाँधी" के महत्वपूर्ण उद्धरणों का प्रदर्शन

भारत के राष्ट्रपति श्री राम नाथ कोविन्द ने गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर 01.10.2018 को राष्ट्र को निम्नलिखित संदेश जारी किया।

महात्मा गाँधी जयंती की पूर्व संध्या पर भारत के राष्ट्रपति का संदेश

अपने संदेश में उन्होंने कहा 'राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी का जीवन शांति, बंधुता, सद्भाव और समावेशी विकास के आदर्शों के प्रति समर्पित था। गाँधी जयंती, इन आदर्शों के प्रति हमारी निष्ठा और संकल्प को दुहराने का अवसर है। पूरी दुनिया में गाँधीजी की शिक्षाएँ और उनका जीवन सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है और इसीलिए वे न केवल भारतीयों के लिए अपितु पुरी दुनिया के आदर्श बने हुए हैं। इस वर्ष हम गाँधीजी की 150वीं जयंती के समारोहों का शुभारंभ कर रहे हैं, अत: यह वर्ष हम सबके लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

गाँधीजी ने हमारे देश और उपमहाद्वीप के करोड़ों लोगों को स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की प्रेरणा दी। जब भारत स्वाधीन हुआ तब देशवासियों ने महसूस किया कि अब वे राष्ट्र के भविष्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। गरीबी, निरक्षरता और भेदभाव समाप्त करने एवं आर्थिक व सामाजिक प्रगति के हमारे प्रयासों में गाँधीजी का मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक है।

इस वर्ष गाँधीजी की जयंती पर, उनके जीवन से जुड़े जन-कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना सर्वथा उपयुक्त है। गाँधीजी ने स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता पर हमेशा बल दिया, अत: स्वच्छ भारत अभियान उनके प्रति देशवासियों की आस्था का प्रतीक है।

आइए, गाँधी जयंती के अवसर पर हम सब अपने घरों, आवासीय क्षेत्रों, शहरों, गाँवों और पूरे देश को स्वच्छ बनाने तथा पूर्ण स्वच्छता के संदेश को प्रसारित करने का संकल्प लें। महात्मा गाँधी की शिक्षाएँ सभी देशवासियों और पूरी मानवता के लिए आज भी प्रासंगिक हैं।'

भारत के राष्ट्रपति, श्री राम नाथ कोविन्द ने कहा कि यह हम सभी के लिए प्रसन्नता की बात है कि पिछले डेढ़ वर्ष के दौरान, 'राष्ट्रीय समिति' के मार्गदर्शन में महात्मा गाँधी का संदेश देश और दुनिया भर के आम लोगों तक पहुंचा है।

राष्ट्रपति ने कहा कि प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी ने गाँधीजी के स्वच्छता संबंधी आह्वान को जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया है। इस व्यापक लोकप्रिय भागीदारी के कारण, गाँधीजी का स्वच्छ भारत का सपना पाँच वर्ष से भी कम समय में साकार हो रहा है। देश को 'खुले में शौच से मुक्त' बनाने की दिशा में सफलता प्राप्त करना एक महान सामूहिक उपलब्धि है। पिछले कुछ महीनों में, हमारे पर्यावरण पर 'एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक' के दुष्प्रभाव सम्बन्धी जागरूकता बड़े पैमाने पर बढ़ी है। गाँधी जयंती से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में युवाओं के उत्साह से हमें भरोसा मिलता है कि गाँधीवादी विरासत हमारी भावी पीढ़ियों के हाथों सुरक्षित है।

राष्ट्रपति ने कहा कि यदि मानव जाति को गंभीर समकालीन चुनौतियों का सामना करने में सफल होना है, तो उसे अन्य लोगों के प्रति, वनस्पतियों और जीवों के प्रति, और धरती के प्रति गाँधीवादी नज़रिए को अपनाना ही होगा। आज सम्पूर्ण विश्व में गाँधीजी को श्रद्धा भाव से देखा जाता है क्योंकि दुनिया को यह अहसास हो चला है कि शांति और समानता की उनकी दृष्टि, और अहिंसा की उनकी कार्य-पद्धति उस समय की तुलना में आज के समय में अधिक प्रासंगिक है। दुनिया के कुछ हिस्सों में संघर्ष का वातावरण है, और पूरी दुनिया जलवायु विनाश की आपदा का सामना कर रही है। वैज्ञानिक समुदाय ने हमारी धरती की नियति के बारे में चेतावनीपूर्ण भविष्यवाणियाँ की हैं। इस क्षेत्र में भी, गाँधीजी हमें आगे का मार्ग सुझा सकते हैं।

महात्मा गाँधी की स्मृति में रा.न.का.सं. में जारी वार्षिक योजना के अनुसार कोविड-19 की महामारी से बचाव के लिए जारी समस्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उक्त गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

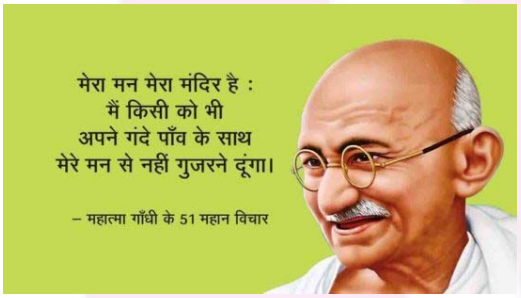

संस्थान में आतंकवाद विरोधी दिवस का आयोजन

राजीव गाँधी की पुण्यतिथि 21 मई को पूरे भारत देश में आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है । 21 मई 1991 को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गाँधी की तमिलनाडु के श्रीपेरुंबुदूर में हत्या कर दी गई थी। आतंकवादियों ने जिंदा मानव बम के जरिए उनकी हत्या करा दी थी। उस वक्त राजीव गाँधी चुनाव प्रचार के सिलसिले में श्रीपेरुंबुदूर गए हुए थे। वे वहाँ एक आमसभा को संबोधित करने जा ही रहे थे कि उनका स्वागत करने के लिए रास्ते में बहुत सारे प्रशंसक उन्हें फूलों की माला पहना रह थे। इसी मौके का उठाते हुए आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। हमलावर ने माला पहनाने के बहाने एक आत्मघाती विस्फोट को अंजाम दिया था जिसमें राजीव गाँधी की मौत हो गई थी। आतंकवाद विरोधी दिवस स्वर्गीय राजीव गाँधी के सम्मान में और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए भी मनाया जाता है।

भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस के रुप में मनाया जाता है। मंत्रालय के निदेशानुसार इस वर्ष भी संस्थान में आंतकवाद विरोधी दिवस 21 मई (गुरुवार) को मनाया गया। कोविड-19 महामारी से बचाव संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार संस्थान के समस्त कार्मिकों ने निम्नलिखित शपथ का वाचन किया:

शपथ

हम भारतवासी अपने देश की अहिंसा एवं सहनशीलता की परम्परा में दृढ़ विश्वास रखते हैं तथा निष्ठापूर्वक शपथ लेते हैं कि

हम सभी प्रकार के आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगें। हम मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक

सदभाव और सूझबूझ कायम करने और मानव जीवन मूल्यों को खतरा पहुँचाने वाली और विघटनकारी शक्तियों लड़ने की भी शपथ लेते हैं।

आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने का उद्देश्य राष्ट्रीय हितों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों, आतंकवाद के कारण आम जनता को हो रही परेशानियों, आतंकी हिंसा से दूर रखना है। आतंकवाद विरोधी दिवस आतंकवाद के उन सौदागरों के मुंह पर तमाचा है जो यह समझते हैं कि आंतक फैलाने से वो मानवता को हरा देंगे। आज के समय में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाने की अत्यंत आवश्यकता है। आज आतंकवाद का खात्मा करना बहुत जरुरी है। लोगों के मन से आतंकवाद का भय मिटाने के लिए उन्हें इसके

प्रति जागरुक करने की आवश्यकता है। तभी तो आज आतंक चाहे कितना भी पनप रहा हो लेकिन वो मानव हौसलों के आगे आज भी पस्त है। आज आतंकवाद के खिलाफ पूरा विश्व एकजुट है। आंतकवाद से लड़ने का यही एकमात्र रास्ता है कि हमें आज युवाओं को सही शिक्षा देकर अच्छे और बुरे में फर्क करना समझाना अति आवश्यक है क्योंकि आंतकवादी सर्वप्रथम युवाओं को ही अपना निशाना बनाते हैं। आज युवा शक्ति में वो ताकत है जो आंतकवाद को घुटने टेकने पर मजूबर कर सकती है। जिसके लिए आतंकवाद विरोधी दिवस से बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता।

लेख

कोविड-19 व नगरीयकरण

1.0 आज सम्पूर्ण विश्व, कोविड-19, विश्वव्यापी महामारी से जूझ रहा है, और आज वैश्विक स्तर पर इस रोग से 30.0 लाख से अधिक व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं एवं लगभग 2.0 से अधिक लाख व्यक्ति इस संक्रमण के कारण मौत के मुह में समा चुके हैं, किन्तु साथ ही यह भी सन्तोषप्रद है कि लगभग 9.0 लाख से अधिक व्यक्ति इस के पश्चात् रोगमुक्त हो चुके हैं। भारत भी दुनिया के अन्य देशो की भाँति कोविड-19 रोग से प्रभावित हुआ है व आज लगभग 30,000 व्यक्ति संक्रमित हो चुके हैं व लगभग 900 से अधिक व्यक्तियों की इस रोग से ग्रसित हो, मृत्यु हो चुकी है तथापि यह भी एक सकारात्मक तथ्य है कि लगभग 7000 से अधिक व्यक्ति रोगमुक्त भी हुये हैं।

2.0 भारत देश के राजनेताओं, प्रशासन डॉक्टर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता व नगरीय प्रशासन से सम्बन्धित कार्मिकों ने कोरोना वारियर्स के रूप में अपनी-अपनी योग्यता से साबित कर दिया है कि किसी भी प्रकार के आकस्मिक संकट का सामना करने में भारतीय राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था दुनिया के किसी भी विकसित अथवा विकासशील देशों से कहीं अधिक बढ़कर प्रभावी है। हमारी व्यवस्थाओं ने जिस धैर्य एवं संकल्प के साथ इस संकट का सामना किया है, वह वास्तविक रूप से प्रशंसनीय है। हमारे देशवासियों ने भी इस संकट के समय देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ कदम मिलाकर दिखा दिया है। कि देश का आमजन भी संकट के समय शासन में भागीदार है।

3.0 भारत में माननीय प्रधानमन्त्री महोदय द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिये एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुये दिनांक 25 मार्च 2020 को देश व्यापी लॉकडाउन के परिणामस्वरूप देश के समस्त व्यापार एवं आर्थिक जगत में व्यापक प्रभाव हुआ एवं समस्त औद्योगिक प्रतिष्ठान, व्यापार, कार्यालय, बाजार, मॉल, मल्टीप्लेक्स, होटल, रेस्टोरेन्ट, निर्माण परियोजनाएँ, शैक्षणिक संस्थान इत्यादि, बन्द हो गये और लोगो के अपने-अपने घरों में ही, सामाजिक दूरी रखते हुये, रहने के निर्देश दिये गये। सरकारी कार्यालयों में भी लॉकडाउन का पालन करते हुये कामकाज बन्द हो गया व सरकारी अधिकारी व कर्मचारीयों को भी (आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित, को छोड़कर) घर से ही कार्य सम्पादित करने हेतु निर्देश जारी किये गय। राजकीय व निजी क्षेत्र के समस्त शैक्षणिक संस्थानों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि को भी अध्ययन सम्बन्धी कार्य, कक्षाएँ व परीक्षाओं को ऑनलाइन माध्यम से ही किये जाने हेतु कहा गया। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने, रेल, बस आदि समस्त यातायात सुविधाओं को भी स्थगित रख दिया गया। विदेशों में भी इसी अवधि में लॉकडाउन होने के कारण विश्व के अनेक देशों में विश्वविद्यालय बन्द हो गये एवं वहाँ अध्ययन रत छात्र-छात्राएँ अपने-अपने देशों की ओर आ गये। यह एक प्रकार का विदेशों से अपने-अपने देशों की ओर पलायन ही था।

4.0 देश के बड़े-बड़े महानगरों, औद्योगिक शहरों में स्थित उद्योग-धन्धों व निर्माण परियोजनाएँ लॉकडाउन से प्रभावित हुई एवं सरकारी आदेशों की पालना के कारण बन्द हो गयी, इस लॉकडाउन का इन महानगरों एवं बड़े शहरों में देश के विभिन्न भागों से रोजगार की वजह से आये अनेक श्रमिक व कार्मिक, जिनके पास सामाजिक दूरी बनाएँ रखने व अपने दैनिक व्यय सुचारू रूप से चलाने हेतु कोई साधन नहीं था, इन सबने अपने-अपने गृह नगरों व ग्रामों की ओर वापस पलायन प्रारम्भ कर दिया, इस गम्भीर समस्या को समझते हुये विभिन्न राज्य की सरकारों ने ऐसे व्यक्तियों को रहने व खाने की समुचित व्यवस्था की अन्यथा यह पलायन भी कोराना के संक्रमण को गम्भीर रूप दे सकता था। इसी के साथ-साथ बड़े-बड़े कॉरपोरेट घरानों, सूचना प्रौद्योगिक संस्थानों, सॉफ्टवेयर उद्योगों ने अपने-अपने व्यवसाय व कार्य को जारी रखे जाने की दृष्टि से अपने सभी कार्मिकों को वर्क फ्रॉम होम की सलाह जारी की। इन कार्मिकों में से भी अनेक कर्मी बैंगलोर, मुम्बई, पुणे, चैन्नई आदि बड़े-बड़े महानगरों से अपने-अपने शहरों में वापस

लौट आये और दूरस्थ स्थानों से ही अपना कार्य सम्पादित कर रहे हैं।

5.0 अब हम कोविड-19 से पहले की परिस्थितियों पर एक नजर डालते हैं और नगरीयकरण के ऐतिहासिक परिदृश्य की ओर चलते हैं। दुनिया के समस्त देशों में व भारत में भी नगरीयकरण का सबसे प्रमुख कारण औद्योगिकीकरण रहा है व औद्योगिकीकरण अधिकांशतः ऐसे बड़े शहरों में अधिक हुआ जहाँ कि उद्योग स्थापना एवं उत्पादों के बाजार हेतु आधारभूत सुविधाएँ यथा सड़क, बिजली, पानी, एयरपोर्ट / पोर्ट, संचार माध्यम आदि के साथ-साथ कुशल कर्मी भी उपलब्ध हों, और यही कारण रहा कि औद्योगिकीकरण के साथ-साथ नगरीयकरण का प्रतिशत भी ऐसे बड़े नगरों/महानगरों में औसत से अधिक रहा वि आर्थिक समृद्धि व रोजगार के साधनों की तलाश में ग्रामों व छोटे शहरों से जनसंख्या का पलायन भी ऐसे महानगरों की ओर होता रहा। जनसंख्या के पलायन के परिणामस्वरूप इन महानगरों में आवासीय सुविधा की गम्भीर समस्या उत्पन्न हुई व स्लमस, अनाधिकृत इमारतें, राजकीय भूमि पर अनाधिकृत निर्माण, अनाधिकृत बस्तियां, कृषि भूमि पर बेतरतीब निर्माण हुआ व आवासों के किराये में भी अवांछित वृद्धि हुई व एक-एक कमरे के आवास में 8-10 व्यक्तियों ने रहना स्वीकार कर लिया और इसी कारण ऐसे क्षेत्रों / बस्तियों में सामान्य से अधिक आवासीय घनत्व है। मुम्बई स्थित धारावी इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है, जिसमें 2.5 वर्ग किमी. क्षेत्र में लगभग 15.0 लाख व्यक्ति निवास करते है। सम्भवत: दुनिया के किसी भी शहर में किसी एक बस्ती का जनसंख्या घनत्व इतना नहीं है। यह बस्ती कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरनाक स्तर पर है एवं कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्कों तलाशना लगभग असम्भव है, क्योंकि ऐसी बस्तियों व यहाँ के निवासियों को सामाजिक दूरी की शर्त की पालना कराना लगभग असम्भव है।

6.0 कोविड-19 से पहले लगभग 100 वर्षों पूर्व आयी वैश्विक महामारी स्पेनिश फ्लू में भी मुम्बई शहर सर्वाधिक प्रभावित रहा था व तत्समय भी सामान्य से अधिक जनसंख्या घन्त्व तथा सामाजिक दूरी की पालना नहीं हो पाना रहा। आज की परिस्थितियों में भी आज का मुम्बई सर्वाधिक प्रभावित शहर है। यदि हम देश के अन्य राज्यों में कोरोना प्रभावित शहरों पर एक नजर डाले व उपलब्ध सूचना का विश्लेषण करें, तो यही तथ्य परिलक्षित होता है कि ऐसे क्षेत्र अथवा आवास सर्वाधिक प्रभावित हुये हैं, जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिक है अथवा एक ही आवास में रहने वाले व्यक्तियों/परिवारों की संख्या सामान्य से कहीं अधिक है। सूचनाओं में विश्लेषण से यह भी स्पष्टतः निष्कर्ष निकलता है कि ऐसे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या का संक्रमण कम है, वहाँ कोरोना वायरस का संक्रमण का फैलाव भी कम है, उदाहरण के रूप में राजस्थान का बीकानेर सम्भाग जहाँ की आबादी, क्षेत्रों का विकास इस प्रकार हुआ है कि जनसंख्या का घनत्व संकेन्द्रित नहीं होकर विकेन्द्रित है।

7.0 आइये, अब हम वायरस कोविड-19 व इसके बाद उत्पन्न परिस्थितियों पा पुन: ध्यान केन्द्रित करते हैं और निम्न तथ्यों की ओर देखते हैं :-

- बड़े शहरों से लाखों की संख्या में श्रमिक/कार्मिक अपने-अपने गृह नगरों की ओर लौट आये हैं एवं वे जिन उद्योगों अथवा व्यापारिक संस्थानों में कार्यरत थे वे सब अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक स्लोडाउन के कारण अत्याधिक घाटे में आ गये हैं व लगभग बन्द होने के कगार पर हैं। ऐसी स्थिति में उनको रोजगार उपलब्ध कराने वाले संस्थान सक्षम रहेंगे या नहीं? और यदि सक्षम होंगे तो कब तक व यदि नहीं होंगे तो ऐसी विपरीत परिस्थितियों में इन श्रमिकों/ कामगारों/ कार्मिकों के रोजगार का क्या होगा ?

- छोटी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियों, सॉफ्टवेयर कम्पनियों, बैंकिग सेवाएँ देने वाली संस्थाओं आदि में कार्यरत तकनीकी विशेषज्ञ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं एवं इन कम्पनियों को वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था के लाभ भी मिलने लगे है, तो क्या ऐसी स्थिति में ये कम्पनियाँ अपने तकनीकी विशेषज्ञों/कार्मिकों को वापस अपने-अपने कार्यालयों में कार्य करने के लिये बुलायेंगे या वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को ही जारी रखेंगे ?

- विदेशों में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ, देश के विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कोचिंग संस्थानों आदि में शैक्षणिक व्यवस्थाएँ इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रारम्भ किये जाने की प्रणाली भारत में कितनी कारगर सिद्ध होगी एवं कोरोना वायरस के प्रभाव से लागू सामाजिक दूरी की पालना के कारण यह ऑनलाईन व्यवस्था कब तक जारी रह सकेगी अथवा इसका भी कोई अन्य विकल्प होगा ?

ऐसे ही अनेक प्रश्न हैं, जिनका समाधान व उत्तर कब तक मिलेगा व कोरोना वायरस का प्रभाव कब तक समाप्त होगा, सामाजिक दूरी की पालना कब तक जारी रहेगी? आदि भी प्रश्न रहेंगे, जो कि अनुत्तरित ही हैं।

8.0 कोविड-19 के संक्रमण के कारण अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न स्थितियों के परिदृश्य में दुनिया के अनेक देश चीन से परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से विरोधी स्वर बोलने लगे हैं एवं अनेक देशों ने अपने औद्योगिक संस्थानों को अन्य देशों में स्थानान्तरित करने पर विचार आरम्भ कर दिया है व लगभग 1000 से अधकि संस्थानों ने अपने उद्योग भारत में स्थापित किये जाने की सम्भावना तलाश करने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी है। यदि भारत की ओर से इस सम्बन्ध में गम्भीर प्रयास किये जाते हैं तो हमारे देश में उपलब्ध संसाधनों व सम्भावनाओं को देखते हुये इन उद्योगों का भारत में स्थापित होना अवश्यम्भावी है। इस परिस्थिति का लाभ भारत को व भारत के नागरिकों को अवश्य प्राप्त होगा।

अत: इस स्थिति में हमें अपनी औद्योगिकीकरण, नगरीयकरण व अन्य नीतियों पर आमूलचूल परिवर्तन करता होगा। कोविड-19 के पश्चात् पलायन हुये श्रमिकों/ कामगारों/ कार्मिकों के वापस नहीं लौटने की स्थिति में, सॉफ्टवेयर कम्पनियों में वर्क फ्रॉम होम की स्वीकृति जारी रहने, शिक्षा व्यवस्था में ऑनलाईन प्रणाली विकसित होने, चीन से बाहर उद्योग स्थापित होने पर भारत को प्राथमिकता मिलने तथा बड़े महानगरों में जनसंख्या के घनत्व से उत्पन्न विपरीत परिस्थितियों के फलस्वरूप देश में नगरीयकरण को नई दिशा प्राप्त होगी, जिसमें निम्न सम्भावनाएँ स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है :-

i. चूँकि वर्तमान में उद्योग स्थापित किये जाने हेतु आवश्यक मूलभूत सुविधाएँ देश के लगभग सभी शहरों व ग्रामों में उपलब्ध है। अत: पलायन पश्चात् लौटने वाले श्रमिकों/ कामगारों/ कर्मियों के रोजगार की व्यवस्था हेतु ऐसे ग्रामीण क्षेत्रो अथवा लघु/ मध्यम शहरों में स्थानीय संसाधनो व सम्भावनाओं के अनुरूप लघु/घरेलू उद्योग स्थापित किये जाने होंगे। इस सम्बन्ध में नगरीयकरण की नीति में गहन समीक्षा पश्चात् बड़े नगरीय केन्द्रों के स्थान पर लघु/ मध्यम श्रेणी के नगरों, पेरी-अर्बन क्षेत्रों व आस-पास के ग्रामों को प्राथमिकता दिये जाने की नीति बनायी जानी होगी, ताकि ऐसे क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधि हेतु आवश्यक सुविधाओं व सामाजिक/भौतिक आधारभूत सुविधाएँ भी विकसित की जाये। नगरीकरण व औद्योगिकीकरण की इस विकेन्द्रीकरण की नीति से देश व राज्य में क्षेत्रीय असन्तुलन कम होगा व स्थानीय स्तर पर ही रोजगार तथा अन्य सुविधाएँ उपलब्ध होने पर आबादी का पुन: पलायन होगा व लोग अपनी जड़ों से जुड़े रहना पसन्द करेंगे। क्षेत्रीय असन्तुलन को कम किये जाने की नीति से जनसंख्या के घनत्व का भी सुनियोजित रूप से संतुलन बनाया रखा जाना सम्भव होगा। क्षेत्रीय असन्तुलन को समाप्त किये जाने हेतु देश एवं राज्य की प्रत्येक इकाई यथा ग्राम, नगर व जिला को आत्मनिर्भर बनाये जाने हेतु प्रत्येक जिले का आर्थिक, समाजिक व भौतिक आधारभूत सुविधाओं का विस्तृत क्षेत्रीय प्लान बनाया जाना होगा। प्रत्येक नगर व ग्राम में आवास की उपलब्धता कराये जाने हेतु जन आवास नीति का भी विस्तार किया जाना आवश्यक होगा।

ii. देश व राज्य के प्रमुख नगरों (चार महानगरों यथा मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई जैसे नगरों के अतिरिक्त) में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को व्यवस्थित करने व इस व्यवस्था को प्रभावी बनाये जाने की दृष्टि से ऐसे प्रमुख नगरों के प्रत्येक आवासीय जोन्स में वर्चुअल ऑफिसेज के निर्माण को प्रोत्साहन की नीति पर चलना होगा, ताकि तकनीकी विशेषज्ञों को एक डेडीकेटेड कार्यालय स्थान उपलब्ध हो सकेगा व वर्क फ्रॉम होम; जो कि भारतीय परिवारों में इतनी कारगर नहीं है जैसा कि

विदेशों में है, को प्रभावी रूप से दूरस्थ कार्यस्थल के रूप में विकसित किया जा सकेगा। ऐसे वर्चुअल कार्यालय प्रमुखत: आवासीय क्षेत्रों के समीप ही स्थित होने पर पैदल दूरी पर ही होंगे व घर से ऐसे कार्य स्थलों पर जाने हेतु मोटर वाहन के स्थान पर साइकिल से अथवा पैदल ही पहुँचना सुलभ होगा।

iii. दूरस्थ शिक्षा प्रणाली विशेषतया कोचिंग अथवा विशेषज्ञ शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावी रूप से विकसित करने हेतु आवासीय क्षेत्रों के नजदीक में ही वर्चुअल क्लास रूम के भवनों को प्रोत्साहित किये जाने की नीति बनायी जानी होगी, ताकि ऐसे क्लास रूप में जाकर समूह में किन्तु दूरस्थ शिक्षा प्राप्त की जानी सम्भव होगी व ऐसे भवन भी पैदल दूरी पर ही होंगे।

iv. सभी शहरों में व प्रमुख ग्रामों में भविष्य में विकसित होने वाली निजी अथवा राजकीय योजनाओं को एकल भू-उपयोग (अर्थात् केवल आवासिक अथवा केवल व्यावसायिक) के स्थान पर मल्टी फंक्शनल भू-उपयोग अर्थात् एकल आवासीय उपयोग के स्थान पर प्रत्येक योजना में न्यूनतम एक या इससे अधिक भी आर्थिक गतिविधि अनिवार्य रूप से विकसित की जाये, को प्रोत्साहित किये जाने की नीति तैयार की जानी होगी, ताकि प्रत्येक क्षेत्र में आवासीय उपयोग के साथ-साथ उस क्षेत्र के अनुरूप आर्थिक गतिविधि भी विकसित हो। ऐसे मल्टी फंक्शनल जोन में आर्थिक गतिविधि में कार्य करने वाले व्यक्तियों को ही आवास/भूखण्ड आवंटन में प्राथमिकता दिये जाने पर अधिकांश व्यक्ति आवास व कार्यस्थल में अधिक दूरी नहीं होने पर वाहनों के स्थान पर पैदल अथवा साईकिल का ही उपयोग करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में सड़कों पर वाहनों के यातायात में कमी आयेगी व प्रदूषण कम होगा। ऐसे मल्टी फंक्शनल जोन्स सामाजिक व भौतिक आधारभूत सुविधाओं यथा शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय शॉपिंग, पानी बिजली, सीवरेज, वेस्ट वाटर ट्रीटमेन्ट, मनोरंजनात्मक सुविधाओं सहित विकसित होंगे। इस प्रकार की नीति हेतु हमें अपने मास्टर प्लान व टाउनशिप नीति में भी आवश्यक परिवर्तन किये जाने होंगे।

v. अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पन्न हुई परिस्थितियों के फलस्वरूप भारत के राज्यों में स्थापित होने वाले उद्योगों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा एक समग्र नीति तैयार की जानी होगी, ताकि ऐसे उद्योगों की स्थापना क्षेत्रीय सन्तुलन के अनुरूप हो व औद्योगिकीकरण का विकेन्द्रीकरण हो व देश के सभी क्षेत्रों को इसका लाभ मिल सके।

vi. शहरों में सामाजिक दूरी की पालना को दृष्टिगत पब्लिक ट्रान्सपोर्ट की नीति में व्यापक बदलाव की आवश्यकता होगी, तथापि ऊपर दिये गये सुझावों के अनुरूप कार्य करने पर शहरों में साईकिल ट्रैक व फुटपाथ जैसी आधारभूत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

vii. नगरीय क्षेत्रों में लागू भवन विनियमों व वास्तुविधिक मानदण्डों में कोविड-19 के दीर्घावधि प्रभाव को रोकने हेतु जैसे मॉल्स, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेन्ट, होटल आदि के आन्तरिक डिजाइन को सामाजिक दूरी की पालना हेतु किये जाने हेतु आवश्यक परिवर्तन किये जाने होंगे।

viii. कोविड-19 के संक्रमण काल में चिन्हित हुए ऐसे हॉट-स्पॉट क्षेत्र, जहाँ की आबादी के घनत्व के कारण इसका अधिक फैलाव हुआ है, पर विशेष ध्यान देते हुये ऐसे क्षेत्रों में घनत्व व भीड़ भाड़ कैसे कम की जा सकती है, इस बाबत मानवीय आधार व रोजगार को ध्यान में रखते हुये दीर्घावधि योजना तैयार कर समस्त सम्बन्धित संस्थानों, सामाजिक संगठनों व प्रभावित व्यक्तियों को विश्वास में लेकर इस योजना की क्रियान्वित की जानी होगी, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से बचा जा सके।

ix. देश व राज्य के प्रत्येक शहर व ग्रामों में सोलिड एवं लिक्विड वेस्ट मेनेजमेन्ट की नीति का शत-प्रतिशत लागू किया जाना होगा, साथ ही वेस्ट वाटर को ट्रीटमेन्ट पश्चात् पुन: चक्रित कर व्यापक रूप से कृषि एवं अन्य कार्यो में उपयोग किये जाने के कार्य पर बल दिया जाना होगा।

x. कोविड-19 की महामारी के प्रबन्धन में जी.आई.एस. आधारित मैपिंग का महत्व भी परिलक्षित हुआ है। अत: हमें प्रत्येक शहर, कस्बे एवं ग्राम के प्रोपर्टी आधारित मैपिंग कर जी.आई.एस. आधारित बेसमेप तैयार किये जाने होंगे, ताकि प्रत्येक सम्पत्ति चाहे वह निर्मित हो या अनिर्मित हो उससे सम्बन्धित विस्तृत सूचना एक ही मैप पर उपलब्ध हो, इस मैप के उपलब्ध होने पर ई-गवर्नेन्स को भी प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जैसा कि हमारे पूर्वज हमें सिखाया करते थे कि जीवन में हर संकट हमें कोई न कोई नयी सीख आवश्यक देता है व हर संकट नये सिरे से जीवन को प्रारम्भ करने का एक अवसर भी हमें देता है। कोविड-19 की महामारी भी वही संकट है जो हमें नई राह प्रशस्त करने का मार्ग दिखा रही है।

स्त्रोत: आर.के. विजयवर्गीय,
मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान

महिलाओं की भूमिका

हमारे समाज में महिला अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अहम किरदार निभाती है। अपनी सभी भूमिकाओं में निपुणता दर्शाने के बावजूद आज के आधुनिक युग में महिला पुरुष से पीछे खड़ी दिखाई देती है। पुरुष प्रधान समाज में महिला की योग्यता को आदमी से कम देखा जाता है। सरकार द्वारा जागरूकता फ़ैलाने वाले कई कार्यक्रम चलाने के बावजूद महिला की जिंदगी पुरुष की जिंदगी के मुक़ाबले काफी जटिल हो गयी है। महिला को अपनी जिंदगी का ख्याल तो रखना ही पड़ता है साथ में पूरे परिवार का ध्यान भी रखना पड़ता है। वह पूरी जिंदगी बेटी, बहन, पत्नी, माँ, सास, और दादी जैसे रिश्तों को ईमानदारी से निभाती है। इन सभी रिश्तों को निभाने के बाद भी वह पूरी शक्ति से नौकरी करती है ताकि अपना, परिवार का, और देश का भविष्य उज्जवल बना सके।

अगर हम महिलाओं की आज की अवस्था को पौराणिक समाज की स्थिति से तुलना करे तो यह तो साफ़ दिखता है कि हालात में कुछ तो सुधार हुआ है। महिलाएँ नौकरी करने लगी है। घर के खर्चों में योगदान देने लगी है। कई क्षेत्रों में तो महिला पुरुषों से आगे निकल गई है। दिन प्रतिदिन लड़कियां ऐसे ऐसे कीर्तिमान बना रही है जिस पर न सिर्फ परिवार या समाज को बल्कि पूरा देश गर्व महसूस कर रहा है।

महिलाओं के उत्थान में भारत सरकार भी पीछे नहीं है। बीते कुछ सालों में सरकार द्वारा अनगिनत योजनाएँ चलाई गयी है जो महिलाओं को सामाजिक बेड़ियाँ तोड़ने में मदद कर रही है तथा साथ ही साथ उन्हें आगे बढ़ने में प्रेरित कर रही है। सरकार ने पुराने वक़्त के प्रचलनों को बंद करने के साथ साथ उन पर क़ानून रोक लगा दी है।

जिनमें मुख्य थे बाल विवाह, भ्रूण हत्या, दहेज़ प्रथा, बाल मजदूरी, घरेलू हिंसा आदि। इन सभी को क़ानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने के बाद समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार आया है। महिला अपनी पूरी जिंदगी अलग अलग रिश्तों में खुद को बाँधकर दूसरों की भलाई के लिए काम करती है।

आज तक महिला को बहन, माँ, पत्नी, बेटी आदि विभिन्न रूपों में देखा है जो हर वक़्त परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए तैयार रहती है। शहरी क्षेत्रों में तो फिर भी हालात इतने ख़राब नहीं है पर ग्रामीण इलाकों में महिला की स्थिति चिन्ता करने योग्य है। सही शिक्षा की व्यवस्था न होने एवं जागरुकता के अभाव में महिलाओं की दशा दयनीय हो गई है। भारत का विकास केवल शहरी महिलाओं

के विकास से नहीं आंका जा सकता, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को भी समान अवसर, शिक्षा व जागरुकता के अवसर उपलब्ध करवाकर उनको भी विकास की मुख्यधारा में शामिल करना अपेक्षित है।

आरती पठानिया, कार्यालय सहायक

आधुनिक नारी

हमारा भारत देश एक विशालकाय देश है जो बड़ी तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। हमारे भारतीय समाज एवं देश में महिलाओं की अहम भूमिका रही है। क्षेत्र में महिलाओं ने अपना पूरा योगदान दिया है। आज, दुनिया का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, जहाँ महिलाओं ने खुद को साबित नहीं किया हो, महिलाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा हर क्षेत्र में मनवाया है परिवार, समाज और देश की तरक्की में उन्होंने अपना कार्य बड़ी ही सुगमता से किया है। आज की महिलाएँ किसी भी देश के विकास का मुख्य आधार होती हैं एवं पुरुषों से कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं। भारतीय संविधान में स्त्री-पुरुष के भेदभाव को समाप्त करते हुए उन्हें एक समान अधिकार दिए हैं। समाज का निर्माण स्त्री एवं पुरुष के संयोग से हुआ है, अतः समाज के संचालन के लिए जितनी आवश्यकता पुरुष की है उतनी ही स्त्री की भी है।

प्राचीन समय से ही स्त्री ने समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। जबकि तब स्त्री की दशा बहुत कष्टदायक होती थी, उन्हें बोझ समझा जाता था और उन्हे बहुत सी सामाजिक कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता था। कई जगहों पर महिलाओं को अपनी शिक्षा के अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ता था। नारी का जीवन घर की चार दीवारी में ही बीत जाता था। उनका जीवन चूल्हा-चौका करके और संतान को जन्म देने तक ही सीमित था। विशेष रूप से नारी का एक ही कर्तव्य था घर संभालना, उसे घर की इज्जत मान कर घर में ही परदे के पीछे रखा जाता था। जबकि इस में बिलकुल भी संदेह नहीं है कि नारी ही वो शक्ति है जो समाज का पोषण भली प्रकार कर सकती है।

हमारे समाज में झाँसी की रानी, कल्पना चावला और इंदिरा गाँधी जैसी बहुत सी महिलाएँ रही है जिन्होंने समय समय पर नारी शक्ति का परिचय दिया है, और समाज को बताया है कि नारी अबला नहीं है। आज भी महिला कोमल और मधुर ही है लेकिन उसने अपने अंदर की नारी शक्ति को जागृत किया है और अन्याय का विरोध करना शुरू किया है। आज हमारे समाज की सोच बदली है बेटियाँ भी किसी पर बोझ बनकर रहना नहीं चाहती वो भी खुद अपने पैरों पर खड़ा हो कर आगे बढ़ रही है। वह अपने अंदर की शक्तियों को जानने लगी है, जिससे आधुनिक नारी का समाज में सम्मान बढ़ा है। नारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, बदल रही है और इस परिवर्तन के हम सब साक्षी है। सरकारी एवं गैर सरकारी, निजी क्षेत्रों कार्यों में महिलाएँ नौकरियां कर रही है। बेटियां बेटों से पढ़ने और हर मामलों में आगे निकल रही है।

आज पहले की तुलना में महिलाएँ आत्मनिर्भर एवं सक्षम हैं एवं पुरुषों की तरह राजनीति, आर्थिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। एक स्त्री सारे रिश्तों को बहुत अच्छे से संभालती हैं। आज देश की महिलाएँ भी जागरूक हो चुकी हैं। बड़े से बड़े कार्य क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहीं हैं। फिर चाहे काम मजदूरी का हो या अंतरिक्ष में जाने का। महिलाएँ अपनी योग्यता हर क्षेत्र में साबित कर रही हैं। महिलाएँ अपनी जिंदगी से जुड़े फैसले खुद कर रही हैं। महिलाएँ धीरे धीरे आत्मनिर्भर बनती जा रही हैं वह स्वावलम्बी बनना चाहती हैं। अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व बनाना चाहती हैं और पुरुष भी अब महिलाओं को समझने लगे हैं, उनका हक भी उन्हें दे रहें हैं। पुरुष अब महिलाओं के फैसलों का सम्मान करने लगे हैं। महिलाओं के विकास एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमारे देश की सरकारें लगातार काम कर रही हैं महिलाओं के बिना इस दुनिया की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि महिलाएँ ही वंश को आगे बढ़ाती हैं एवं वह घर और परिवार की जिम्मदारी को बेहतर निभा सकती हैं।

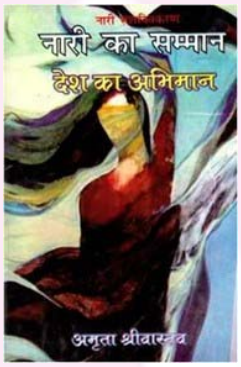

आज महिलाएँ पहले से कहीं ज्यादा तेज गति से अपने सपने पूरे कर रही हैं। वह पुरुषों से भी चार क़दम आगे निकल गई है। महिलाओं की पढ़ाई लिखाई पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा अगर उनकी क्षमता पर ध्यान नहीं दिया गया तो देश की आधी

जनसंख्या अशिक्षित रह जाएगी और अगर महिलाएँ ही पढ़ी लिखी नहीं होगीं तो वह देश कभी प्रगति नहीं कर पाएगा। हमें यह बात समझनी होगी की अगर एक महिला अनपढ़ होते हुए भी घर इतना अच्छा संभाल लेती है तो पढ़ी लिखी महिला समाज और देश को कितनी अच्छी तरह से संभाल लेगी। महिलाएँ परिवार बनाती है, परिवार घर बनाता है, घर समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है की महिला का योगदान हर जगह है। महिला की क्षमता को नज़र अंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। महिला यह जानती है कि उसे कब और किस तरह से मुसीबतों से निपटना है। जरुरत है तो बस उसके सपनों को आजादी देने की।

आज की नारी एक शक्ति है इसको कमजोर न समझो। यह भविष्य की मह तारी है इस के रूप को समझो।इसी से हमारा भविष्य है इस बात को समझो। ये दुर्गा है, ये काली है, इस के रूप को समझो।ये माँ भी है, और बेटी भी है, इस के किरदार को समझो। संस्कारो से परिपूर्ण है वो, इस के रूप को समझो। उसकी शक्ति को पहचानो उसकी महानता का समझो। आज की नारी एक शक्ति है

संगीता विज
सुपरवाइज़र डब्लु. पी.

शहरों में महिलाओं की भूमिका

'यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता'

की उक्ति हर भारतीय के जनमानस में रच बस गई है। इसकी नींव तो उसी समय से पड़ गई थी जब पुरुष प्रधान समाज में नारी को सम्मानपूर्वक स्थान देना प्रारम्भ किया था। यही कारण है कृष्ण से पहले राधा तथा श्री राम से पहले सीता को सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। यही परम्परा अब शहरी जीवन में भी त्रादय हो गई है।

शक्ति की पूजा जब भी होती है, दुर्गा की आराधना होती है उसी तरह विद्या की देवी सरस्वती तथा धन की देवी लक्ष्मी की पूजा रीति -रिवाजों में जन्म-जन्मान्तर से ही है। अक्सर कहा जाता है की प्रत्येक सफल परुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। लेकिन यह कहावत अब केवल पुस्तकों में ही मिलती है, क्योंकि बीसवीं सदी समाप्त होते होते यह कहावत अस्तेय प्रतीत होने लगी। शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं का योगदान तो सावित्री बाई फुले के साथ ही शुरू हो गया था, समाज को प्रकाश दिखाने की जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई। अब जबकि महिलाएँ कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के साथ आगे बढ़ रही हैं, शहरी जीवन में अचानक इक्सवी सदी की वैसी झलक दिखाई पड़ने लगी है जहाँ शहरी जीवन में महिलाओ ने घर को आर्थिक मजबूती प्रदान करना प्रारम्भ कर दिया है।चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या रोजगार का, चाहे आसमान की ऊँचाई छूने की बात हो, महिलाओं ने एक कदम आगे बढ़कर अपनी श्रेष्ठता साबित की है। इसके साथ ही महिलाएँ विभिन्न क्षेत्रों के साथ-साथ देश की रक्षा में अपना भरपूर योगदान दे रही है अर्थात् कोई भी क्षेत्र महिलाओं के पदचिन्हों से अछूता नहीं रहा।

शहरी जीवन में जहाँ आर्थिक तंगी के कारण परिवार बिखर रहे थे, वहाँ महिलाओं ने आगे बढ़कर अपना आर्थिक योगदान प्रदान करके परिवारों को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। पूर्व में बच्चों के लालन-पालन का दायित्व केवल महिलाओं का था परंतु अब स्थिति बदल गई है तथा महिलाओं ने घर से बाहर निकलकर अपनी भूमिका आर्थिक क्षेत्र में भी सुनिश्चित की है। अतः अब शहरी महिलाओं का दायित्व दोहरा हो गया है और इसका निर्वाह वह बखूबी कर रही है। शहरों में एकल परिवार होने के कारण महिलाओं को घर-बाहर दोनों में सामंजस्य बनाना होता है ऐसे में अधिकांश परिवारों के पुरुष भी समाज की पुरातन सोच बदलकर अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। यह बदलाव समय की आवश्यकता है। समाज की आधुनिकतावादी विचारधारा महिलाओं की प्रगति के पथ पर सहयोगी बनी है।

अब जबकि पुरुषों के साथ महिलाएँ भी बराबर का अधिकार रखते हुए समाज की परिभाषा को बदल रही हैं, सरकार द्वारा अनेक ऐसे कानून बनाये गए हैं जिससे महिलाओं को शहर में अधिक उन्मुक्तता,स्वतंत्रता व सुरक्षा के साथ

दिन-रात कार्य करने में सहायता मिली है। शहरी जीवन में महिलाएँ बराबरी का अधिकार रखते हुए अपने घर परिवार के साथ- साथ समाज को सृदढ़ बनाने में अपनी मर्यादा का पालन करते हुए सशक्त भूमिका निभा रही है।

नवीन डांगी, डाटा ऐंट्री ऑपरेटर

शहरी क्षेत्र में महिलाएँ

योगदान हो या चुनौती, समस्या या समाधान।
अनंत-अमर, शौर्य, पराक्रम का कैसे हो गुणगान ॥

"महिला"

म-माँ, मान, ममता है,
हि- हल, हित, हितैषी है,
ला- लाली, लाज, लाजवाब है॥
महिला ही माँ है, मान है, ममता है।
महिला ही हल है, हित है, समता है॥
महिला ही लाज हर देहरी की लाजवाब है।
महिला ही प्रकृति की, सौन्दर्य, सुंदर जवाब है॥

महिलाएँ सदैव से ही पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक व्यवस्थाओं की आधार रहीं है, महिलाओं की समाज में स्थिति जितनी सशक्त, प्रभावशाली और सुदृढ़ होती है, समाज उतना उन्नत, सभ्य और प्रगतिशील होता है।

कोई भी राष्ट्र तभी सशक्त बन सकता है, जब उसका हर नागरिक सशक्त एवं सक्षम हो, इसमें भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। परिवार में एक माँ, बहन, बेटी बन अपनी भूमिका निभाती है, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान का लम्बा इतिहास रहा है। राष्ट्र के समग्र विकास तथा उसके निर्माण में महिलाओं के योगदान का दायरा असीमित है, तथापि देश के चहुँमुखी विकास तथा समाज में अपनी भागीदारी को उसने सशक्त रुप से पूरा किया है। अपने मस्तिष्क की स्वतंत्रता कायम रखते हुए वे पुरुषों से सदैव अग्रसर रही हैं।

जहाँ एक ओर भारतीय महिलाएँ विधि, अकादमिक, साहित्य, संगीत, नृत्य, खेल, मीडिया, उद्योग, विज्ञान, आई.टी. सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहीं है, वहीं डॉ. अब्दुल कलाम की प्रमुख शिष्या रही डॉ. थॉमस को भी (अग्नि-5) के सफल परीक्षण के बाद 'मिसाइल वुमन' अथवा 'अग्नि-पुत्री' नामों से संबोधित किया जाने लगा, मिसाइल कार्यक्रम का सम्पूर्ण नेतृत्व संभालने वाली ये देश की पहली महिला वैज्ञानिक बन गई, भारतीय धावक एथलेटिक्स में अर्जुन पुरस्कार पाने वाली हिमादास से कौन परिचित नहीं है।

राजनैतिक और सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में महिलाओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, विजयलक्ष्मी पंडित ने 1946, 1947, 1950 और 1963 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया, कुतसुम जे. सयानी ने 1957 में युनेस्को के तत्वाधान में हुए प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्हें 1959 में समाजसेवा के लिए पदमश्री तथा 1969 में नेहरु साक्षरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, वर्तमान में भी महिलाएँ दिल्ली जैसे महानगरों में महापौर, मुख्यमंत्री, केन्द्रीय मंत्री, राज्यमंत्री, सांसदों जैसे अनेक महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो देश की प्रगति के लिए लगातार प्रयत्नशील है, उदाहरण के लिए अजैता शाह फ्रंटीयर मार्किट्स की संस्थापक हैं।

यह मार्केटिंग कंपनी भारत के निम्न आयवर्ग के लिए सस्ते सोलर सॉल्युशन उपलब्ध कराने, विक्रय करने एवं सर्विस सेवा उप्लब्ध कराने का कार्य करती है, अंजली नोरोन्हा विद्यालय शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए समूह एकलव्य से जुड़ी हुई हैं, इनके द्वारा सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में नागरिक शास्त्र को आधुनिक ऐसे नागरिकता की शिक्षा में बदलने का सफल प्रयास किया, बिहार की जयाभारती ने मात्र 14 वर्ष की आयु में एक सपना देखा था और दिल्ली की निधि अग्रवाल के साथ मिलकर राजस्थान में अयाद फाउंडेशन का गठन किया जो एक ऐसे समाज की कल्पना है, जहाँ सभी लोग खुशी से सम्मान के साथ रह सकें, और अपने सपने को साकार कर दिखाया।

राजनितिक क्षेत्र में सर्वप्रथम सबसे आदरणीय एवं शक्तिशाली महिला भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी विश्व की प्रसिद्ध महिला रहीं है, श्रीमती गाँधी जी ने पूरी मजबूती के साथ शासन किया तथा दशकों तक पुरुषों के वर्चस्व वाले भारतीय मंत्रीमंडल का सफल नेतृत्व किया, और भारत जैसे विशाल देश को अकाल एवं युद्ध से निकाल कर 'हरित क्रांति' में बदल दिया, सम्मानीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज भारत की पूर्व विदेश मंत्री थीं, और देश में किसी राजनैतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि उल्लेखनीय है, श्रीमती निर्मला सीतारमण उन सशक्त महिला नेताओं में से एक हैं, जिन्होंने बहुत ही कम समय में राजनैतिक के प्रखर शिखर तक पहुँची है, देश की पहली रक्षा मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है, और वर्तमान में देश की वित्त मंत्री का पदभार बखूबी निभा रहीं हैं।

उद्योग जगत में भी महिलाएँ अग्रणी है, जैसे इंदिरा नूई, विश्व प्रसिद्ध पेप्सिको की अध्यक्ष हैं, खेल जगत में सानिया मिर्जा सर्वोच्च टेनिस ख़िलाड़ी है, मेरी कॉम एकमात्र महिला मुक्केबाज हैं, साइना नेहवाल बैडमिंटन खिलाड़ी है, मिथाली राज क्रिकेट में उपल्बिधयों के लिए अर्जुन पुरस्कार लें चुकीं हैं, लेखन क्षेत्र में भी महिलाओं की भूमिका अग्रणी है, अनिता देसाई, झुम्पा लहिरी, अरुंधती राय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कारों के साथ, वैश्विक स्तर पर आलोचकों की श्रेणी में गिनी जाती है, मनोरंजन के क्षेत्र में, महिलाएँ अग्रणी पंक्ति में है, दशकों से बॉलीवुड में मधुर आवाज ध्वनि लता मंगेशकर और आशा भौंसले, अनुराधा पौड़वाल की विश्व प्रसिद्धि रही है, फिल्म निर्माता, मीरा नायर, कल्पना लाजमी, एवं नायिकाओं में शबाना आजमी, मीना कुमारी, हेमा मालिनी, रेखा, एश्वर्या रॉय जैसे अनेकों महिलाएँ ख्याति प्राप्त है, महिलाओं ने सामाजिक व आर्थिक रुप से निश्चित तौर पर उल्लेखनीय कार्य किए है, जिससे उनके सशक्तिकरण का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

आज के युग में यह दु:खदाई विषय है कि कुछ अपवादों को छोड़कर प्रोफेशनल और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव जन्म से ही शुरु हो जाता है, तथा शहरी क्षेत्रों, महानगरों में भी किशोरावस्था में पहुँचते ही उन्हें शिक्षा से वंचित कर दिया जाता है।

आज के युग में भी 25 वर्ष से अधिक आयु का लड़कियों का शिक्षा स्तर पुरुषों से बहुत कम है, भारत महिलाओं के लिए विश्व में सबसे असुरक्षित माना जाता है। प्रतिदिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा के समाचार देखने-सुनने व समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं, भारतीय संसद में भी कई बार महिलाओं को 33 प्रतिशित आरक्षण का प्रस्ताव अस्वीकार हो चुका है। शहरी क्षेत्र में महिलाएँ बेहतर रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता देती है, क्योंकि महिलाओं के जीवन में दैनिक रुप से उत्पन्न होने वाली समस्यायें प्रमुख है, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था अविश्सनीय व असुरक्षित अथवा कठिन है। आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि करना देश के लिए कठिन चुनौतियों में से एक है, हालांकि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में भी महिलाओं को कई प्रकार की कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है, जैसे पुरुष प्रभावी वातावरण, यौन शोषण और महिला शौचालयों का पर्याप्त ना होना। यद्यपि आज के वैज्ञानिक व आधुनिक युग में महिलाओं ने कृषि से लेकर अंतरिक्ष तक अनेक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर स्थान हासिल कर लिया है परंतु आज भी अधिकतर महिलाएँ अपने मौलिक अधिकारों से वंचित रहने के लिए विवश है। महिला सशक्तिकरण के जितने भी प्रयास किये जा रहे हों पर महिलाओं को अपने अस्तित्व की सबसे बड़ी चुनौती उसे अपने ही घर में, माँ की कोख़ से ही मिल रही है, कदाचित इससे बच भी गई तो धरती में आने के बाद, उसके लिए चुनौतियों का अंबार खड़ा मिलता है-भ्रूण हत्या, लैंगिग भेदभाव, घरेलू हिंसा, दहेज यातना, यौन उत्पीड़न, छेड़छाड़, शोषण, दमन, बलात्कार, तिरस्कार, मानसिक/आर्थिक यंत्रणा आदि समस्यायें प्रमुख है।

विकासशील भारत को आज महिला सशक्तिकरण के लिए सशक्त नियमों उपनियमों का निर्माण करना आवश्यक विषय है, भारतीय संविधान कुछ सशक्त धाराओं का पुनर्निर्माण कर, तथा उपरोक्त उल्लिखित समस्याओं को गंभीरतापूर्वक निदान कर ही महिला सशक्तिकरण का उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है।

" महिला ही शक्ति स्वरुप , आधि भवानी है।
अनंत अनकही, अनसुलझी कहानी है।
अवसर मिले तो आसमान छू लेगी।
भूमंडल पर आभा अनोखी बिखेर देगी॥
पचास प्रतिशत प्रतिनिधि अगर बना दी जायें।
कोई शक नहीं भारत में राम राज ले आये।

संपूर्ण सृष्टि की सुंदर रचना है महिला॥
धरती अंबर पवित्र गंगा है महिला॥
संपूर्ण भू मंडल की आलौकिक आभा है महिला ।
शौर्य समरता, सौंदर्य की दिव्य गाथा है महिला॥

गुसाईं राम आर्य,
मशीन चालक

शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ

ट्रिन ट्रिन - सुबह 5 बजे अलार्म बज उठा। इसे बंद कर सोचा चलो अभी दस मिनट सो जाते हैं। तभी दिल के दूसरे कोने से आवाज आई - नींद ना खुली तो..... कैसे होगा सारा काम। पूरी दिनचर्या आँखों के आगे आ गई। चाय, नाश्ता, भोजन बनाना, पैक करना, बच्चों का स्कूल, पतिदेव का ऑफिस, अरे हाँ खुद भी तो ऑफिस जाने की तैयारी करनी है और मजबूरन उठना ही पड़ता है। फिर शुरू हो जाती है भागदौड़ जिंदगी जीने की ..... और कुछ निपटाकर ऑफिस पहुँच कर फिर एक और जंग टारगेटस-मीटिंगस कार्य का दबाव, सब कुछ पूरा करते करते कब अगली सुबह पर अलार्म बजता है, पता ही नहीं चलता। पूरा जीवन ही एक संघर्ष की कहानी कहता है, यही है एक शहरी महिला का जीवन।

यही दिनचर्या अमूमन हर शहरी महिला की है। हाँ, थोड़ा बदलाव आ गया है जैसे - खाना बनाने के लिए 'मेड' का उपयोग होने लगा, ऑफिस आने जाने के लिए कार की सुविधा होने लगी, बच्चों के होमवर्क निपटाने के लिए टयूॅटर मिल गए। अपने समय का प्रयोग अब अपने लिए होने लगा----- जिम जाना, ब्यूटी पार्लर जाना अब दिनचर्या का हिस्सा बनने लगा और हाँ, पोशाक में भी बदलाव आने लगा। जींस, पेंट, टॉप, कुर्ती, प्लाजों महिलाओं की शान बढ़ाने लगे।

शहरी महिला यानि एक उन्मुक्त, एक स्वावलंबी महिला, जो किसी भी विभाग में कार्य कर सकती है। चाहे सेना हो या पुलिस और अब तो पायलट बनने के बाद उसके हौंसले एक नई बुलंदियों को छूने लगे। हर दिशा में एक उन्मुक्त सा माहौल, एक उन्मुक्त सी दिशा, हर सपना मानों पूरा होने वाला है।

ये वही महिला है जो कहीं बेटी, कहीं बहन, कहीं पत्नी, कहीं मां के रूप में अपने कर्तव्यों को भली भांति निभा रही है समर्पित भाव से। इस अर्पण में कुछ और नहीं केवल उत्सर्ग छलकता है। शहरी महिलाओं की स्थिति ग्रामीण महिलाओं की स्थिति की अपेक्षा बेहतर है। उन्हें वे सब सुविधाएँ मिली हुई है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं मिल पाती। उच्च शिक्षा, किसी भी क्षेत्र में जाने की स्वतंत्रता, आधुनिक माहौल में लालन पालन और सबसे बड़ी बात लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तभी तो उनका पूरा व्यक्तित्व पूर्णतया निखर कर आता है। पर क्या उनके जीवन में कोई समस्या नहीं है। उनको देखने से लगता है कि उनकी जीवनशैली कितनी सुखमय है, परन्तु हर सुख के पीछे उनका कितना संघर्ष छिपा है, ये कोई नहीं जानता। महिलाएँ घर से बाहर कदम रखती हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये डगर इतनी आसान नहीं है, इसे पाने के लिए न जाने कितनी कीमत चुकानी पड़ती है। कभी घर की, तो कभी ऑफिस की, तो कभी समाज की विभिन्न समस्याओं से जूझते हुए, हर विपरीत परिस्थिति से संतुलन बनाते हुए शहरी महिलाएँ आज इस मुकाम पर पहुँची है कि समाज पर अपना प्रभुत्व जमाए हुए है। इसके लिए शहरी महिलाओं ने कई त्याग किये है, कितनी ही बार खुद को मिटा दिया है।

कहा गया है - किताब ए जिंदगी ने पाठ ये हमको पढ़ाया है। बनाने के लिए खुद को मिटाना भी जरूरी है। खुद को इस तरह मिटा-मिटा कर फिर खुद को बनाया है। संघर्षो की अग्नि में जलकर ही ये जीवन कुंदन सा चमका है। जिसकी छवि देखकर कवि जयशंकर प्रसाद ने कहा -

नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में।
पीयूष स्रोत सी बहा करो, जीवन के सुन्दर समतल में।

मीरा भागचंदानी,
सहायक

शहरी क्षेत्रों में महिलाओं का योगदान

मातृ देवो भवः ।

हमारी संस्कृति में स्त्रियों का गौरवशाली स्थान रहा है। आज उच्च शिक्षा प्राप्त कर भारतीय नारी अबला से सबला बन गई है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें भारतीय नारी ने प्रखरता और प्रबलता से अपना अस्तित्व स्थापित नहीं किया है। महिलाओं ने देश की समृद्धि एवं विकास व उसकी प्रगति में अपना अमूल्य योगदान दिया है।

महिलाओं ने विकास के प्रत्येक क्षेत्र - चाहे संस्कृति हो, विज्ञान हो, शिक्षा हो, ललित कला हो, व्यवसाय हो, कृषि हो या अर्थव्यवस्था हो , में अपना अमूल्य सहयोग देकर उसको शिखर तक पहुँचाया है।

प्रशासनिक क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या भी बहुत बड़ी है। आई.ए.एस. और आई.पी.एस. में महिलाओं का चयन प्रतिशत भी बढ़ रहा है। सेना में भी प्रवेश लेकर महिलाओं ने अपना योगदान दिया है। भारतीय सेना , वायु सेना, जल सेना सभी में महिलाओं ने अपना गौरव दिखाया है। राजनीति, समाज सुधार, उद्योग, शासन-प्रशासन, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, खेलकूद, संगीत आदि क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं बल्कि पुरुषों से अधिक योग्य सिद्ध हो रही हैं।

कुल्सुम जे सायानी ने प्रौढ़ शिक्षा सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया।कुमारी बच्छेन्द्रीपाल एवरेस्ट की चोटी पर विजय पताका फहराने वाली प्रथम महिला थी।एम. फातिमा ने सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश के पद को संभाला। एम.एस.सुब्बलक्ष्मी ने गीत संगीत में, लता मंगेशकर और आशा भोंसले ने संगीत में सम्मानीय स्थान बनाया। किरण बेदी प्रथम आई.पी.एस. बनी एवं पी.टी.ऊषा, सानिया मिर्जा, पी.वी.सिंधू, साक्षी मलिक जैसी महिलाओं ने भारत का खेल जगत में मस्तक ऊँचा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कृष्णा मूर्ति ने भरतनाट्यम में एवं शहनाज हुसैन ने सौंदर्य में विशिष्ट स्थान प्राप्त किया है। पदमावती बंदोपाध्याय भारत की पहली एयर मार्शल बनी। शीला दीक्षित ने राजनीतिक सेवा में रहते दिल्ली की काया ही पलट दी। इंदिरा गाँधी भारत की प्रथम प्रधानमंत्री बनी। मीनाक्षी शर्मा, अंजली मिंज और विभा कुमारी मैट्रो की महिला ड्राइवर बनी। सुरेखा यादव 1988 में प्रथम महिला ट्रेन ड्राइवर बनी। लीला सेठ दिल्ली उच्च न्यायालय की प्रथम न्यायाधीश बनी। इसके अतिरिक्त विजय लक्ष्मी पंडित ने संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व किया।

"शहरी क्षेत्रों में महिलाएँ "

इस प्रकार महिलाओं ने परिवार एवं समाज की चुनौतियों को झेलते हुए दोहरी भूमिका निभाते हुए हर क्षेत्र में खुद को साबित किया एवं यह संदेश दिया कि भारत में साहसी और बुद्धिमान महिलाओं की कमी नहीं है। महिलाएँ परिवार बनाती हैं, परिवार से समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। अतः महिलाओं को नजरंदाज करके सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती।

मंजू सक्सेना, टेलीफोन ऑपरेटर

भारतीय नारी

पिछले कुछ दशकों से भारत की जनसंख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई हे । यह वृद्धि शहरों, महानगरों एवम् ग्रामीण सभी क्षेत्रो में बेतहाशा बढ़ी है। ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का शहरों एवं बड़े-बड़े महानगरों की ओर पलायन हो रहा है।

जनसंख्या का ग्रामीण क्षेत्रों से नगरीय क्षेत्रों मे जाना 'शहरीकरण' अथवा नगरीकरण कहलाता है। इसके परिणामस्वरूप जनसंख्या का बढ़ता हुआ भाग ग्रामीण स्थानों में रहने के बदले शहरी स्थानों में रहता है।

किसी भी देश की प्रगति के लिए जरूरी है उस देश की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका। इसके लिए जरूरत है असमानता खत्म करने की। आज महिलाएँ भी पुरुषों के मुकाबले किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। महिलाएँ अपने अधिकारों को भलीभांति समझती है।

गौरतलब है कि आजाद भारत में महिलाएँ दिन-प्रतिदिन अपनी लगन, मेहनत एवं सराहनीय कार्यों द्वारा राष्ट्रीय पटल पर

अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुई हैं। मौजूदा दौर में महिलाएँ नए भारत के आगाज की अहम कड़ी दिख रही हैं। लंबे अरसे के अथक परिश्रम के बाद आज भारतीय महिलाएँ समूचे विश्व में अपने पदचिन्ह छोड़ रही हैं। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि पुरुष प्रधान रूढ़िवादी समाज में महिलाएँ निश्चित रूप से आगामी स्वर्णिम भारत की नींव और मजबूत करने का हर संभव प्रयास कर रहीं हैं, जो सचमुच काबिले तारीफ है। हाँ, यह जरूर है कि कुछ जगह अब भी महिलाएँ घर की चारदीवारी में कैद होकर रूढ़िवादी परंपराओं का बोझ ढो रही हैं। वजह भी साफ है, पुरूष प्रधान समाज का महज संकुचित मानसिकता में बंधे होना।

भारतीय संविधान सभी भारतीय महिलाओं को समान अधिकार (अनुच्छेद 14), राज्य द्वारा कोई भेदभाव नही करने (अनुच्छेद 15(1)), अवसर की समानता (अनुच्छेद 16), समान कार्य के लिए समान वेतन (अनुच्छेद 39(घ)) की गारंटी देता है। इसके अलावा यह महिलाओं एवं बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाए जाने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 15(3), महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का परित्याग करने (अनुच्छेद 15(ए)ई) और साथ ही काम की उचित एवं मानवीय परिस्थितियाँ सुरक्षित करने, प्रसूति सहायता के लिए राज्य द्वारा प्रावधानों को तैयार करने की अनुमति देता है (अनुच्छेद 42)।

समय समय पर महिलाएँ अपनी बेहतरीकरण हेतु सक्रियता से आवाज उठाती रही हैं जिसकी पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, तीन तलाक, हलाला व अन्य इसकी बानगी है। आज समूचा भारत हर संभव तरीके से समाज की सभी बहन, बेटियों की हिफाजत चाहता है। एक कदम आगे बढ़कर भारत सरकार ने सन् 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष घोषित किया था और सशक्तीकरण की राष्ट्रीय नीति भी सन् 2001 में ही पारित की थी।

शहरी महिलाएँ ग्रामीण महिला से अधिक स्वतंत्र हैं, नौकरियों में कार्यरत हैं एवं राजनीतिक पदों पर आसीन हैं। शहरीकरण के कारण गाँवों में सभी शहरी जीवन की सुविधाएँ उपलब्ध होती जा रही हैं । उत्कृष्ट राजमार्ग, बसें वे मोटरें, रेडियों, टेलीविजन, अखबार आदि सुविधाएँ उपलब्ध हो गई है । ग्रामीणों का दृष्टिकोण भी अब उदार हो गया है । विवाह, परिवार और जाति-पंचायतों की संस्थाओं में भी परिवर्तन आया है । परन्तु आज भी परम्पराओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है ।

1. आजाद भारत में सरोजिनी नायडू संयुक्त प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी।
2. सन् 1951 में डेक्कन एयरवेज की प्रेम माथुर प्रथम भारतीय महिला व्यवसायिक पायलट बनी।
3. सन् 1959 में अन्ना चाण्डी केरल उच्च न्यायलय की पहली महिला जज बनी।
4. सन् 1963 में सुचेता कृपलानी पहली महिला मुख्यमंत्री (उत्तर प्रदेश) बनी।
5. सन् 1966 में कमलादेवी चट्टोपाध्याय को समुदाय नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया।
6. सन् 1966 में इंदिरा गाँधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी।
7. वर्ष 1972 में किरण वेदी भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती होने वाली पहली महिला बनी।
8. वर्ष 1979 में मदर टेरेसा नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी।
9. साल 1997 में कल्पना चावला पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी।
10. वर्ष 2007 में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनीं।
11. साल 2009 में मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं।
12. साल 2017 में निर्मला सीतारमन पहली पूर्णकालिक महिला रक्षामंत्री बनीं।

समाजिक संबलता हेतु बदलते भारत में महिलाओं की साक्षरता दर लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु पुरूष साक्षरता दर से अब भी कम ही है। ग्रामीण क्षेत्रों में, लड़कों की तुलना में बहुत कम लड़कियाँ ही स्कूल में दाखिला लेतीं हैं और उनमें से कई बीच से ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं। दूसरी तरफ शहरी भारत में यह आंकड़ा संतोषजनक है। लड़कियाँ शिक्षा के मामले में लड़कों के लगभग बराबर चल रही हैं। एक सबल राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं की शिक्षा एवं उनकी सक्रिय भागीदारी अति आवश्यक है, इसलिए हम सबको महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए।

हाल ही में रोज़गार पर सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से जारी आवधिक श्रमबल सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017-18 के मुताबिक, देश में आज़ादी के सात दशकों के बाद पहली बार नौकरियों में शहरी महिलाओं की हिस्सेदारी पुरुषों से अधिक हो गई है। शहरों में कुल 52.1% महिलाएँ और 45.7% पुरुष कामकाजी हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ

नौकरियों में अभी भी पुरुषों से पीछे हैं, हालाँकि पिछले छह वर्षों में उनकी हिस्सेदारी दोगुनी हुई है और यह 5.5% से 10.5% तक पहुँच गई है। शहरी कामकाजी महिलाओं में से 52.1% नौकरीपेशा, 34.7% स्वरोज़गार तथा 13.1% अस्थायी श्रमिक हैं। इससे पहले 2011-12 में हुए NSSO सर्वे में शहरी नौकरीपेशा महिलाओं का प्रतिशत 42.8 था और इतनी ही महिलाएँ स्वरोज़गार में थीं तथा 14.3% अस्थायी श्रमिक थीं। गौर से देखने पर पता चलता है कि पिछले छह वर्षों में स्थिति बदली है और स्वरोज़गार एवं अस्थायी मज़दूरों में महिलाओं की हिस्सेदारी घटी है, जबकि नौकरी में उनकी हिस्सेदारी करीब 10% बढ़ी है।

श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी का निर्णय और उनकी समर्थता उन विभिन्न आर्थिक व सामाजिक कारकों पर निर्भर होता है, जो पारिवारिक स्तर और स्थूल-स्तर (मैक्रो-लेवल) पर जटिल रूप से सामने आते हैं। वैश्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि इसमें शैक्षणिक योग्यता, प्रजनन दर व विवाह की आयु, आर्थिक विकास/चक्रीय प्रभाव और शहरीकरण जैसे घटक सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन विषयों के साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को निर्धारित करने वाले सामाजिक मानदंडों का भी प्रभाव पड़ता है।

टी.सी. शर्मा,
पर्यवेक्षक डीटीपी

संस्थान में राजभाषा नीति

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में राजभाषा नीति का पूर्णतया पालन किया जा रहा है। संस्थान के प्रत्येक कार्मिक का संवैधानिक कर्तव्य भी है कि वह अपना समस्त दैनिक कार्य हिंदी में ही करें। चूँकि हमारा संस्थान 'क' क्षेत्र में स्थित है अत: संस्थान द्वारा किया जाने वाला समस्त पत्राचार हिंदी अथवा द्विभाषी होना अनिवार्य है, जिसका दायित्व पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी का होता है। यह अनिवार्य है कि यदि पत्र अंग्रेजी में भेजा जा रहा है तो उसका हिंदी अनुवाद उसी के साथ ही प्रेषित किया जाए।

भारत के संविधान में राजभाषा नीति के कार्यांवयन को सुविधाजनक बनाने के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं। उनमें से कुछ नियम आप सबकी जानकारी हेतु प्रस्तुत है:

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली को जून 1997 से भारत के राजपत्र में राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार, "केंद्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे"।

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(1) के अनुसार कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त करने का तात्पर्य है कि "उस कर्मचारी/अधिकारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर परीक्षा हिंदी विषय के साथ उत्तीर्ण कर ली है; या केंद्रीय सरकार की हिंदी प्रशिक्षण योजना के अंतर्गत आयोजित प्राज्ञ परीक्षा या यदि उस सरकार द्वारा किसी विशिष्ट प्रवर्ग के पदों के संबंध में उस योजना के अंतर्गत कोई निम्नतर परीक्षा विनिर्दिष्ट है, वह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या केंद्रीय सरकार द्वारा उस निमित्त विनिर्दिष्ट कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है; या यदि वह इन नियमों के उपाबद्ध प्ररूप में यह घोषणा करता है कि उसने ऐसा ज्ञान प्राप्त कर लिया है; तो उसके बारे में यह समझा जाएगा कि उसने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। "

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(2) के अनुसार," केंद्रीय सरकार का कोई भी कर्मचारी, जो हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान रखता है, हिंदी में किसी दस्तावेज के अंग्रेजी अनुवाद की माँग तभी कर सकता है, जब वह दस्तावेज विधिक या तकनीकी प्रकृति का है, अन्यथा नहीं।"

उपरोक्त नियमों के सहयोग द्वारा राजभाषा नीति के कार्यांवयन में सुविधा हो सकती है परंतु हिंदी में कार्य करना अपनी दिनचार्या का अंग बनाना अनिवार्य है तथा यह कार्य हमको स्वयं करना होगा। राजभाषा विभाग द्वारा हिंदी के प्रयोग के लिए प्रतिवर्ष वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाता है । इस वर्ष 2020-21 का वार्षिक कार्यक्रम भी राजभाषा की वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर देखा जा सकता है|

पूनम मल्होत्रा, हिंदी अनुवादक

हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2020-21 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 65% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4.ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 55% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 55% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 55% 4. ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 55%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	75%	50%	30%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	70%	60%	30%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	40%
6.	हिंदी में डिक्टेशन /की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	65%	55%	30%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%
9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल वस्तुओं अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, सीडी/ डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	कंप्यूटर सहित सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की द्विभाषी रूप में खरीद ।	100%	100%	100%

11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्डों आदि का प्रदर्शन द्विभाषी हो	**100%**	**100%**	**100%**
13.	(i) मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	**25% (न्यूनतम)**	**25% (न्यूनतम)**	**25% (न्यूनतम)**
	(ii) मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	**25% (न्यूनतम)**	**25% (न्यूनतम)**	**25% (न्यूनतम)**
	(iii) विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें (क) हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
	(ख) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक)	
	(ग) राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक बैठक)	
15.	कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया और साहित्य का हिंदी अनुवाद	**100%**	**100%**	**100%**
16.	मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों।	**40%**	**30%**	**20%**
			(न्यूनतम अनुभाग)	

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 40%, "ख" क्षेत्र में 25% और "ग" क्षेत्र में 15% कार्य हिंदी में किया जाए।

वार्षिक कार्यक्रम में उल्लिखित लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में संस्थान के कार्मिकों का अभीष्ट व स्वैच्छिक समर्थन अपेक्षित है।

पूनम मल्होत्रा
हिंदी अनुवाद

मन का खोट

दो बड़े अच्छे मित्र थे नाम था कर्मपाल और विजयपाल। दोनों की कारोबार में साझेदारी थी और उनकी एक आढ़त की दुकान थी। चूँकि दुकान शहर के बीचोंबीच थी इसलिए अच्छी आमदनी हो जाती थी और दोनों के दिन बड़े मजे से कट रहे थे। दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी।

एक दिन कर्मपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें एक साथ काम करते हुए एक अरसा हो गया है पर मैंने कभी भी अपने मित्र को अपने घर खाने पर नहीं बुलाया सो मुझे लगता है उसे आज शाम के खाने पर बुलाते हैं तुम्हारा क्या ख्याल है ? उसकी पत्नी ने भी हामी भर दी और बोली चलो ठीक है तुम बुला लो आज ही।

शाम को उसने अपने मित्र को अपने यहाँ खाने का न्योता दिया और उसे बुला लिया विजय ने उसके यहाँ आकर नाश्ता वगैरह किया और अपने मित्र के बच्चों के साथ खेलने लगा। जब थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ तो कर्मपाल उसे बुलाने आया कि चलो खाना तैयार है तुम आ जाओ। जब विजय खाने पर बैठा तो उसे बड़ी हैरानी हुई और सोचने लगा मेरे घर में एक सब्जी बनती है लेकिन यहाँ तो तरह तरह की दालें और सब्जियाँ बनी है कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा मित्र कारोबार में मेरे साथ कोई गड़बड़ी करता है। उसे अपने मित्र की ईमानदारी पर शक होने लगा लेकिन वह चुप ही रहा और अपने घर लौट गया।

कर्मपाल को थोड़ा अजीब लगा और शक हुआ कि विजयपाल इतनी जल्दी घर कैसे चला गया कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन कोई बात नहीं, जल्दी ही पता लग जायेगा सोचकर वह भी चुप ही रहा। अगले दिन विजय जल्दी ही दुकान पर चला गया लेकिन उसके मन में वही बात थी इसलिए उसका मन नहीं लग रहा था और जैसे तैसे ग्राहकों को वह निपटा रहा था इसी बीच एक बोरी के लुढ़कते समय वह गिर गया और उसकी कमर में खिंचाव आ गया इस पर कर्मपाल ने उसे संभाला और वैद्य को बुलाया। कर्मपाल ने विजय को उसे घर ले जाकर उसकी मालिश की और सेवा पानी किया तो विजय की नींद लग गयी।

विजय जब नींद से उठा तो क्या देखता है कि कर्मपाल की पत्नी उसकी पत्नी शारदा के पास बैठी है और बोल रही है कि बहन तुम विजय का ध्यान रखो आज का खाना मैं बना देती हूँ और वो रसोई की तरफ बढ़ जाती है। उसके यहाँ रसोई में सामान तो काफी था लेकिन वो सारा बिखरा हुआ था कर्मपाल की पत्नी यशोदा ने सबसे पहले सामान को ठीक किया और उसके बाद बड़े प्यार से खाना बना दिया। जब खाना तैयार हो गया तो विजय फिर हैरान रह गया उसने देखा कि यशोदा ने अपने घर की तरह ही यहाँ भी दो प्रकार की सब्जियाँ और दो प्रकार की दाल बनाई है तो सोचने लगा कि इसका प्रबंध भी लगता है यशोदा ने किया है और उसे ग्लानि हुई उसकी ये बात यशोदा ताड़ गयी और बोली कि भाईसाहब जल्दी-जल्दी में जो कुछ मुझसे बना मैं बनाकर ले आई जबकि आपके घर में सामान तो बहुत है लेकिन वो बिखरा हुआ है जबकि मेरे घर में सामान कम है लेकिन मैं सही से रखती हूँ। वह सारा मामला समझ गया कि बात सिर्फ प्रबंधन की है और उसने अपनी गलती के लिए दोनों से माफ़ी मांगी।

संगीता विज
सुपरवाइज़र डब्लु. पी.

शब्द परिचय

अंग्रेजी शब्द	हिंदी में अर्थ	हिंदी में प्रयोग
Effective Implementation	प्रभावी कार्यान्वयन	नियमों का प्रभावी कार्यान्वयन अनिवार्य है।
Effective Measures	प्रभावी उपाय	कोविड-19 से बचाव हेतु प्रभावी उपाय किए जाने अपेक्षित हैं।
Effective Staff Strength	वास्तविक कर्मचारी संख्या	संस्थान में वास्तविक कर्मचारियों की संख्या 27 है।
Efficiency	कार्यकुशलता	कार्यकुशलता से किया गया कार्य ही श्रेष्ठ है।
Elected Representative	निर्वाचित प्रतिनिधि	निर्वाचित प्रतिनिधि ही लोक सभा में पहुँचते हैं।
Electronic Media	संचार माध्यम	वर्तमान समय में संचार माध्यम बेहद सशक्त भूमिका निभा रहे हैं।
Eligibility Test	पात्रता परीक्षण	किसी भी पद हेतु चयन से पूर्व पात्रता परीक्षण होता है।
Embarrassment	उलझन	जीवन में अनेको बार उलझन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
Emergency	आपातकाल	आपातकाल में मित्र की सहायता करनी अनिवार्य है।
Emergency Relief	आपात सहायता	आपातकाल में मित्र को आपात सहायता पहुँचाने से बड़ा कोई धर्म नहीं।
Employee	कर्मचारी	संस्थान के कार्मिक ही उसकी पूँजी होते हैं।
Employee Contribution	कर्मचारी अंशदान	संस्थान के सी.पी.एफ. में कर्मचारी अंशदान भी लिया जाता है।
Empowerment	सशक्तिकरण	आज महिला सशक्तिकरण का समय है।
Energetic	उर्जावान	आज का युवा बेहद उर्जावान है।
Enquiry Office	पूछताछ कार्यालय	प्रथम तल पर पूछताछ कार्यालय है।
Enrolment Number	नामांकन संख्या	मेरा नामांकन संख्या 20 है।
Entertainment	मनोरंजन	रेडियो मेरे ज्ञान व मनोरंजन का साधन है।
Environment	पर्यावरण	दिल्ली का पर्यावरण दूषित है।
Equal Opportunities	समान अवसर	महिलाओं को समान अवसर दिए जाने चाहिए।
Ethics	नीतिशास्त्र	टाटा की कंपनी का नीतिशास्त्र उत्तम है।

Etiquette	शिष्टाचार	हमें बच्चों से शिष्टाचारपूर्वक बात करनी चाहिए।
Errors and Ommissions	भूलचूक, लेनी देनी	बिलों पर भूलचूक लेनी देनी लिखा होता है।
Elementary Education	प्रारम्भिक शिक्षा	बच्चों की प्रारम्भिक शिक्षा जीवन का आधार होती है।
Eventual	सम्भावित	आज मंत्री जी की यात्रा सम्भावित है।
Evolve	विकसित करना	देश की अर्थव्यवस्था को विकसित करने का दायित्व देश के निवासियों का भी होता है।

पूनम मल्होत्रा,
हिंदी अनुवादक

सेवानिवृत कार्मिक

श्री रुप चंद - फराश

श्री रुप चंद ने दिनाँक 01-04-1983 में फराश के पद पर कार्यग्रहण किया एवं दिनाँक 13-12-2019 को फराश के पद से स्वैच्छिक सेवानिवृति प्राप्त की। संस्थान की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

श्री राजवीर सिंह - अवर श्रेणी लिपिक

श्री राजवीर सिंह ने दिनाँक 01-10-1984 को अवर श्रेणी लिपिक के पद पर कार्यग्रहण किया एवं दिनाँक 28-02-2020 को अवर श्रेणी लिपिक के पद से सेवानिवृत हुए। संस्थान की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

श्री उमेश चंद्र गड़कोटी - पुस्तकालयाध्यक्ष

श्री उमेश गड़कोटी ने दिनाँक 01-10-1984 को अनुसंधान विश्लेषक के पद पर कार्यग्रहण किया एवं दिनाँक 31-03-2020 को पुस्तकालयाध्यक्ष के पद से सेवानिवृत हुए। संस्थान की ओर से उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ ।

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान में वर्ष 2019-2020 के दौरान सेवानिवृत्त हुए समस्त कार्मिको के स्वस्थ एवं उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

कविता संग्रह

नारी का सम्मान

नारी ही शक्ति है, नारी ही गौरव है
नारी से ही जीवन है, नारी से रिश्तों की शान है
माता का मान है, और पिता का सम्मान है
घर की मर्यादा है वो, ममता की वर्षा है वो
जीवन का पालन करे वो, जीवन की ताल है वो
नारी ने ही ये रचा सारा विधान है
नारी ही शक्ति है, नारी ही गौरव है

नारी लक्ष्मी भी है, नारी सरस्वती भी है
ये दुर्गा भी है, ये ही काली भी है
लक्ष्मीबाई जैसा साहस है इसमें
मीराबाई जैसा प्रेम है इसमें
यही इंदिरा है, यही सरोजनी है
घर की मर्यादा है ये, पति की इज्जत भी है
नारी ही शक्ति है, नारी ही गौरव है

नारी वृक्ष समान है, हर युग में पूजी जाती है
यही पालन करने वाली है यही हमारी जननी है
इसके चरणों पे मस्तक हमने लगाया है
नारी का सम्मान, बचाना ही धर्म हमारा है,
नारी का सम्मान ही हमारा अभिमान है
अपमान मत करना नारियों का इनके बल पर जग है
पुरूष जन्म लेकर इनकी गोद में पलता है
नारी ही शक्ति है, नारी ही गौरव है

संगीता विज
सुपरवाइज़र डब्लु. पी.

आत्मचिंतन

जीवन तूने मेरा गरूर तोड़ दिया.....
एक सरूर सा था वह सुरूर तोड़ दिया....
आजादी तुमने भी अपनी कीमत है बतलाई....
खुले आसमां के नीचे खुल कर सांस लेने पर बन आई...

जब किसी को नाचते गाते खेलते देखते थे.....
दिल तो करता था हमारा भी,
पर हम वक्त का रोना रोया करते थे....

जीवन की आपाधापी में खुद को ही भूल गए थे हम जैसे
वक्त मिला है आओ खुद को खोजें हम फिर से.....
चिंता फिक्र छोड़कर,
आओ जी लें अपनी जिंदगी नये सिरे से

पैसे दोस्त और परिवार इस सबका रहना है जरूरी
इनके बिना ना होती हमारी जिंदगी पूरी....
पर काया है जिसके बिना जिंदगी हमेशा आधी अधूरी

गर्मी की छुट्टी समझ इस वक्त को
करले आओ होमवर्क पूरी
आने वाली है बड़ी परीक्षा कर लें तैयारी अपनी पूरी

स्वस्थ रहे दिल दिमाग शरीर से आगे की लड़ाई है
जरूरी यह वक्त ना आए दोबारा सबकी दुआ होगी पूरी

योगेश भट्ट,
लेखाकार

नारी का संघर्ष

पंक्तियों में नहीं बाँधी जा सकती ,
नारी के संघर्ष की कहानी,
गाँव की हो या हो शहर की,
सबकी एक ही कहानी |

आधुनिकता की चादर ओढ़े ,
शहरी जीवन में यह संघर्ष
और भी जटिल हो जाता है |
घरेलू जीवन पर आर्थिक दबाव
इतना बढ़ जाता है
नारी को पुरुष के साथ
धनयापन भी करने का
दायित्व निभाना होता है|

यह दोहरा दायित्व निभाना
बेहद संघर्षमय हो जाता है |
शहर की नारी के गृहविज्ञान
पर अर्थशास्त्र हावी हो जाता है।

परिवार के लिए अन्नपूर्णा, लक्ष्मी बन
एक ही जीवन मे कई जीवन जी जाती है।
सारा जीवन शहर की जटिलताओं के
चक्रव्यूह भेदन में लगाती है,
अपना पूरा जीवन होम करके,
उस मोड़ पर खुद को ठगा सा पाती है,
जब बच्चों के जीवन-साथी आने पर ,
अपने लिए डु नॉट डिस्टर्ब का बोर्ड लगा पाती है।

पीछे मुड़कर देखती है ,
केवल धूल ही पाती है,
अतीत की यादों की स्मृतियाँ,
उसे कभी रुलाती,कभी हँसाती हैं।
अपना जीवन बेमानी सा लगता है,
जब सामर्थ्य था तो जीया नहीं,
जब अशक्त हो गई ,
तो साये भी छोड़ चले ।

पूनम मल्होत्रा,
हिंदी अनुवादक

मेरी माँ

भगवान न रह सके हर जगह,
माँ की बनाई हमारे जीवन में एक खास जगह।
जब भी मुसीबत आती मुझे आँचल में छुपाती वो ,
पलभर में मेरी पीड़ा अपनी पीड़ा बनाती वो,
जब हारकर घर लौटती, प्यार से हौंसला मेरा बढ़ाती वो,
सही गलत की पहचान मुझे ठीक से करना सिखाती वो,
कितनी प्यारी, कितनी सुलझी,
हर काम हमारा सँवारती वो,
किसी ने ना सोचा, किसी ने ना देखा,
कैसे इतना सब कुछ बाँधकर रखती वो,
मंदिर मस्जिद में तलाशते हम जिस भगवान को,
आँखों के सामने हमारी है वो।

शिवाली पुनहानी,
लेखाकार

नारी का मान

नारी तुम शक्ति हो, प्रेम हो,
आस्था हो, विश्वास हो,
टूटी हुई आशाओं की एकमात्र आस हो॥
नारी तुम गायत्री हो, सावित्री हो,
निर्भीक सबला हो,
ममता की शीतल छाया, सुख की एक बयार हो॥

नारी ही शक्ति है नर की,
नारी ही शोभा है घर की॥
अपमान मत करना नारी का,
ये सृष्टि का आधार हैं॥
हे पुरुष । तू भी तो जन्म लेकर,
इन्हीं की गोद में पलता है॥

अजय निगम,
कार्यकारी अधिकारी

पत्रिका हेतु योगदान

संवाद गृहपत्रिका का लक्ष्य शहरीकरण, नगरीय एवं कार्यालय के अन्य विषयों पर जानकारी और कार्मिकों में विचारों का आदान-प्रदान बढ़ाना है। इस पत्रिका को गौरवपूर्ण बनाने के उद्देश्य से आप सब का सहयोग एवं योगदान अपेक्षित है। प्रकाशित रचना के रचनाकार को प्रति रचना 500 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सभी कार्मिकों से यह भी अनुरोध है कि पत्रिका के अनुरूप निम्नलिखित विषयों पर अपने लेख एवं विचार इत्यादि नि:संकोच भेजें:

- शहरीकरण, नगर संबंधित विषय
- सरकारी नीतियों, शोध पर जानकारी, संदेश टिप्पणी
- ताजा विषयों (Current Affairs), समाचार क्लिपिंग आदि
- राष्ट्रवाद, देश के सामाजिक, आर्थिक, राष्ट्रीय एकता
- कोई प्रेरणा वर्धक या जन-सेहत एवं दार्शनिक विषय
- कार्यालय या सरकारी नियमों संबंधी जानकारी
- सेवानिवृत्त/कार्यालय छोड़ने वाले कार्मिकों के लिए संदेश
- नई प्रौद्योगिकी संबंधित कोई जानकारी
- रोजाना जीवन की महत्वपूर्ण जानकारी
- कोई अन्य कविता, निबन्ध इत्यादि
- शहरी प्रबंधन में श्रेष्ठ कार्य (केस अध्ययन)
- किसी विशिष्ट व्यक्तित्व का साक्षात्कार

अगामी अंक हेतु आप अपनी प्रविष्टियां anigam@niua.org पर भेज सकते हैं।

जब है नारी में शक्ति सारी,
तो क्यों कहें इन्हें बेचारी।

नारी को अबला कहना
उसका अपमान करना हैं
- महात्मा गाँधी

नारी शक्ति को कम समझना, पुरूष प्रधान समाज की विकृत मानसिकता है

राजभाषा नियम

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अनुसार "केन्द्रीय सरकार के जिन कार्यालयों के 80% कर्मचारियों/अधिकारियों ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है उन कार्यालयों के नाम राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगें"। राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान, नई दिल्ली को जून 1997 से भारत के राजपत्र में राजभाषा नियम 10(4) के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।

NIUA
रा न का स

8 मार्च
अंतर्राष्ट्रीय
महिला दिवस

राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान

प्रथम तल, कोर 4बी भारत पर्यावास केन्द्र, लोधी रोड नई दिल्ली-110003

(टेलीफोन) 24617517, 24617543, 24617595, 24617769- (फैक्स) 24617513

(ईमेल) niua@niua.org - (*वेबसाइट*) www.niua.org